



बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह को समाप्त करने
के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण





बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह को समाप्त करने के
लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण

तारुण्य संचार पैकेज पर 2-दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल

विषय-सूची

| | |
|------------|---|
| परिचय | 1 |
| सत्र योजना | 2 |

दिन 1

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| सत्र 1: पंजीकरण एवं परिचय | 7 |
| सत्र 2: किशोर—किशोरियों का सशक्तिकरण करना और बाल विवाह का अंत करना | 9 |
| सत्र 3: बाल विवाह समाप्त करने वाली रुकावटें एवं सामाजिक मानदंड को समझना | 11 |
| सत्र 4: सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार और सामाजिक—पारिस्थितिक मॉडल | 18 |
| सत्र 5: प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षण शैली एवं सुगमीकरण करने की कला | 20 |
| सत्र 6: दिन का सार | 27 |

दिन 2

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| सत्र 1: दिन 1 के सत्रों की मुख्य सीखों को दोहराना | 31 |
| सत्र 2: तारुण्य पैकेज से परिचय | 32 |
| सत्र 3: तारुण्य पैकेज— संचार सामग्री का चयन | 37 |
| सत्र 4: संचार सामग्री का उपयोग | 39 |
| सत्र 5: किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना | 40 |
| सत्र 6: गतिविधियों और परिणामों की मॉनिटरिंग | 42 |
| सत्र 7: कार्यशाला के अंतिम दिन का समापन | 46 |



संलग्नक

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| संलग्नक I: पश्चात व पूर्व आंकलन पत्र | 49 |
| संलग्नक II: सीखने की शैली प्रपत्र | 50 |
| संलग्नक III: हैंडआउट – अभिसरण के लिए प्रोग्रामेटिक और स्कीम प्लेटफॉर्म | 52 |
| संलग्नक IV: तारुण्य पैकेज का उपयोग करते समय हैंडआउट – क्या करें और क्या न करें | 53 |
| संलग्नक V: हैंडआउट – तारुण्य पैकेज की सामग्री | 54 |
| संलग्नकट VI: हैंडआउट – संचार योजना का प्रपत्र | 59 |
| संलग्नक VII: हैंडआउट – निगरानी के लिए नमूना संकेतक और प्रणाली | 60 |



परिचय

भारत में बाल विवाह के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जैसे (सामाजिक लिंग) जेंडर विषमता और यह धारणा कि लड़कियां लड़कों की तुलना में किसी तरह से कमतर होती हैं। इस जेंडर विषमता को बरकरार रखने में हमारे सामाजिक मानदंड बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। भारत के कई राज्यों में अभिभावक और परिवार यह मानते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। उनकी नजर में बच्चों की शादी जल्दी करने के फायदे कई हैं और उसके नुकसान इस तुलना में कम है। अभिभावक अक्सर समाज के बहुसंख्य लोगों की मान्यताओं और अभ्यास से प्रभावित होते हैं और उसके अनुसार मानदंडों का पालन करते हैं।

यह प्रशिक्षण मैन्युअल जिला टार्स्क फोर्स के सदस्यों को "तारुण्य- सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पैकेज" के प्रभावी उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। तारुण्य संचार पैकेज राज्य, जिला, समुदाय और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को किशोर-किशोरी का सशक्तिकरण करने और बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के अंत में प्रतिभागी यह बता पाएंगे कि:

- सामाजिक मानदंड क्या है और इस बाल विवाह प्रथा से संबंधित व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं।
- सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल क्या है, और बाल विवाह प्रथा से इसका क्या संबंध है।
- किशोर-किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की प्रथा को रोकने में किन मंचों (प्लेटफार्म) का उपयोग किया जा सकता है इसकी सूची बनाएंगे।
- विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए तारुण्य पैकेज से उपयुक्त संचार साधनों का चयन कर पाएंगे।
- विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए तारुण्य पैकेज में शामिल संचार साधनों का प्रभावी उपयोग कैसे करें यह बता पाएंगे।
- किशोर-किशोरी सशक्तिकरण के लिए और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए संचार गतिविधियों को लागू करने और उसकी निगरानी करने की योजना बनाएंगे।
- जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और स्वयं सेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के कार्यकर्ताओं को तारुण्य पैकेज के उपयोग पर प्रशिक्षित करने के लिए 2 या 4 घंटे के प्रशिक्षण सत्र के लिए सत्र-योजना बनाएंगे।
- मौजूदा प्लेटफार्म/मंचों और अवसरों पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को तारुण्य पैकेज के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र का सुगमकर्ता के रूप में संचालन कर पाएंगे।



सत्र योजना

| सत्र | समय | सत्र का विषय | विवरण |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिन 1 | | | |
| 1 | 9:30-10:30 | पंजीकरण एवं परिचय | प्रतिभागियों और सुगमकर्ता का परिचय, 2-दिवसीय कार्यशाला और सत्र योजना, पूर्व-प्रशिक्षण मूल्यांकन, अपेक्षाएं और जमीनी नियम |
| 2 | 10:30-10:45 | किशोर-किशोरियों का सशक्तिकरण करना और बाल विवाह का अंत करना | किशोर सशक्तीकरण और बाल विवाह को समाप्त करने का परिचय – भारत और राज्यों में स्थिति, इसमें शामिल मुद्दे |
| | 10:45-11:00 | चाय अवकाश | |
| 3 | 11:00-13:00 | बाल विवाह समाप्त करने वाली रुकावटें एवं सामाजिक मानदंड को समझना | बाल विवाह को रोकने के लिए बाधाओं को सूचीबद्ध करना। सामाजिक मानदंड क्या हैं, वे हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को कैसे संचालित और प्रभावित करते हैं |
| | 13:00- 14:00 | भोजन अवकाश | |
| 4 | 14:00-15:30 | सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार और सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल | सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल (एस.ई.एम) सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एस.बी.सी.सी.) के लिए कैसे काम करता है |
| | 15:30-15:45 | चाय अवकाश | |
| 5 | 15:45-16:45 | प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षण शैली एवं सुगमीकरण करने की कला | प्रौढ़ शिक्षण सिद्धांत, प्रभावी सुगमीकरण के लिए कौशल |
| 6 | 16:45-17:15 | दिन का सार | प्रत्येक सत्र से मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए अगले दिन पुनर्कथन के लिए असाइनमेंट करें |



| सत्र | समय | सत्र का विषय | विवरण |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिन 2 | | | |
| 1 | 9:30-10:00 | दिन 1 के सत्रों की मुख्य सीखों को दोहराना | प्रतिभागियों द्वारा पहले दिन के सत्रों का पुनर्कथन |
| 2 | 10:00-11:00 | तारुण्य पैकेज से परिचय | पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, प्रमुख हितधारक, प्लेटफार्म, और लक्षित समूह |
| | 11:00-11:15 | चाय अवकाश | |
| 3 | 11:15-13:15 | तारुण्य पैकेज— संचार सामग्री का चयन | उपयुक्त संदर्भ में प्रासंगिक हितधारकों के लिए संचार उपकरणों के चयन के लिए समूह कार्य |
| | 13:15- 14:00 | भोजन अवकाश | |
| 4 | 14:00-15:00 | संचार सामग्री का उपयोग | तारुण्य किट के सभी संचार साधनों जैसे कि फ़िलपबुक, इंटर पर्सनल कम्प्युनिकेशन (IPC) के लिए फ़िल्में, गेम आदि का उपयोग करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा समूह कार्य और उनके लाभों और सीमाओं के साथ “क्या करें” और “क्या ना करें” यह समझना |
| | 15:00-15:15 | चाय अवकाश | |
| 5 | 15:15-16:15 | किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना | उपलब्ध कार्यक्रम और योजना प्लेटफार्मों के साथ—साथ बजटीय आवंटन और संसाधन जुटाने के आधार पर किशोर सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय संचार कार्य योजना तैयार करना |
| 6 | 16:15-16:45 | गतिविधियों और परिणामों की मॉनिटरिंग | संचार परिणामों की निगरानी के लिए तरीके और सूचकांक |
| 7 | 16:45:17:30 | कार्यशाला के अंतिम दिन का समापन | कुल मिलाकर प्रतिक्रिया, प्रमुख सबक और प्रशिक्षण के बाद का मूल्यांकन आभार प्रदर्शन |

दिन 1

पंजीकरण एवं परिचय

1



सत्र का परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे
- कार्यशाला के उद्देश्य की सूची बना पाएंगे
- प्रशिक्षण कार्यशाला से अपनी अपेक्षाओं की सूची बना पाएंगे
- कार्यशाला के प्रभावी संचालन के लिए जमीनी नियम बना पाएंगे



अवधि:
60 मिनट



सामग्री

चित्रों के कार्ड, प्रोजेक्टर, प्रशिक्षण—पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र, फ़िलप चार्ट, वी.आई.पी.पी. कार्ड।



प्रक्रिया

1. सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण करें और उन्हें कार्यशाला किट दें।
2. सभी का अभिवादन करते हुए कार्यशाला के बारे में संक्षित में बताए।
3. आइस ब्रेकर के साथ सभी प्रतिभागियों का परिचय करें।
 - शहरों के नाम के साथ उस शहर की कोई एक विशेषता ऐसी हर शहर के लिए दो पर्चियां बनाएं।
 - उदहारण के लिए लखनऊ—नवाब, नागपुर—संतरें, बनारस—साड़ी/आम, इत्यादि।
 - यह सुनिश्चित करें कि प्रतिभागियों की गिनती सम (बराबर) है। यदि विषम प्रतिभागी हैं तो कोई एक सुगमकर्ता उनके साथ इस गतिविधि में शामिल हो जाएं।
 - सभी पर्चियों को अच्छी तरह से मिलाएं, और प्रत्येक प्रतिभागी को एक पर्ची दें।
 - सभी प्रतिभागियों को पर्ची देने के बाद, उनसे कहें कि वह अपना साथीदार चुने जिसके पास उनकी पर्ची का जोड़ीदार है। उन्हें 3 मिनट का समय दें।
 - जब सभी प्रतिभागी अपने साथीदार की पहचान कर चुके हों, तो उन्हें आपस में निम्नलिखित जानकारी साँझा करने के लिए कहें:
 - i. नाम
 - ii. बाल विवाह के क्षेत्र में उनका अनुभव कितने समय का रहा है।
 - iii. कोई एक प्रथा/परंपरा/व्यवहार/धारणा जिसको वह बदलना चाहेंगे। यह किसी त्यौहार/वेशभूषा, खान—पान, जन्म, कर्म—काण्ड, या शादी से संबंधित हो सकते हैं।



- बताएं कि परिचय के दौरान उन्हें अपने साथीदार का परिचय देना है।
 - जानकारी साँझा करने के लिए 3–5 मिनट का समय दें।
 - सभी प्रतिभागियों को अपने साथीदार के साथ सामने आकार एक दूसरे का परिचय देने के लिए कहें।
 - प्रतिभागियों द्वारा बताए गए प्रथा/परंपरा/व्यवहार/धारणाओं को नोट करें।
 - सभी प्रतिभागियों के परिचय के बाद उनको धन्यवाद करें।
4. सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण—पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र दें और उसे भरने के लिए कहें (देखें: संलग्नक—I)
 5. सभी प्रतिभागियों को प्रपत्र भरने के लिए कहें। उन्हें बताएं कि यह मूल्यांकन उनके बारे में कोई धारणा बनाने के लिए नहीं बल्कि इस कार्यशाला के विषय—वस्तु संबंधी उनके ज्ञान को समझना है। इससे सुगमकर्ता कार्यशाला की प्रभावशीलता को आंक पाएंगे।
 6. सभी प्रतिभागियों को वी.आई.पी.पी. कार्ड दें और कार्यशाला से उनकी अपेक्षाओं को लिखने के लिए कहें। प्रतिभागियों से वी.आई.पी.पी कार्ड इकट्ठा करें और उसे एक दीवार/फिलप चार्ट/पिन-उप बोर्ड पर चिपका दें।
 7. सभी प्रतिभागियों के साथ सलाह—मशवरा करते हुए कार्यशाला के लिए जमीनी नियम निर्धारित करें।
 8. कार्यशाला के प्रत्येक दिन के लिए प्रतिभागियों के बीच से एक 3–सदस्यों की हाउस—कीपिंग दल का गठन करें, और सभी के साथ सलाह—मशवरा करते हुए उनके अधिकार और जिम्मेदारियां बताएं।

किशोर-किशोरियों का सशक्तिकरण करना और बाल विवाह का अंत करना



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- किशोर-किशोरी सशक्तिकरण के संदर्भ को समझ पाएंगे।
- बाल विवाह को क्यों समाप्त करना चाहिए उसके कारणों की सूची बना पाएंगे।



सामग्री

प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड



प्रक्रिया

देश और विशिष्ट राज्य में बाल विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या संबंधी मुख्य आंकड़ों को प्रस्तुत करें। यह जानकारी एन.एफ.एच.एस.-4 की रिपोर्ट से लें। इन आंकड़ों के आधार पर किशोर-किशोरी सशक्तिकरण, और बाल विवाह को समाप्त करने की जरूरत को समझाएं। (नोट: नीचे दिखाई गयी तालिका में भारत देश और बिहार राज्य के आंकड़े दिए गए हैं। इसी तरह से कार्यशाला के दौरान उस लक्षित राज्य के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए।)

| क्रमांक | विवरण | भारत | राज्य (बिहार) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1 | 18 वर्ष से कम उम्र में ब्याही गयी महिलाएं (20–24 वर्ष) (%) | 26.8 | 42.5 |
| 2 | 21 वर्ष से कम उम्र में ब्याहे गए पुरुष (25–29 वर्ष) (%) | 20.3 | 35.3 |
| 3 | 18 वर्ष से कम उम्र में ब्याही गयी महिलाएं (शहर) (%) | 17.5 | 29.1 |
| 4 | 18 वर्ष से कम उम्र में ब्याही गयी महिलाएं (गाँव) (%) | 31.5 | 44.5 |
| 5 | 21 वर्ष से कम उम्र में ब्याहे गए पुरुष (शहर) (%) | 14.1 | 21.9 |
| 6 | 21 वर्ष से कम उम्र में ब्याहे गए पुरुष (गाँव) (%) | 24.4 | 38.0 |
| 7 | साक्षरता दर— महिला (%) | 68.4 | 49.6 |
| 8 | साक्षरता दर— पुरुष (%) | 85.7 | 77.8 |
| 9 | लिंगानुपात (1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं) | 991 | 1062 |
| 10 | बाल लिंगानुपात (1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियाँ) | 919 | 934 |
| 11 | 15–19 वर्ष आयु की महिलाएं जो सर्वे के दौरान या माता बन चुकी हैं या गर्भवती हैं। | 7.9 | 12.2 |
| 12 | संस्थागत प्रसव (%) | 78.9 | 63.8 |
| 13 | टीकाकरण का प्रसार (%) | 62.0 | 61.7 |



सत्र का समापन

इन बिंदुओं के साथ चर्चा का सार बताएँ:

- भारत में किशोरियों को खास जोखिम है क्योंकि उनको कई तरह से वंचित रखा गया है, और भेद-भाव का शिकार बनाया गया है।
- यह भेद-भाव उनके जन्म से पहले, लिंग चयन के रूप में शुरू होता है और लगातार चलता रहता है। लड़कों की तुलना में कई लड़कियां पांच वर्ष से पहले ही गुजर जाती हैं, इसके अलावा लड़कियों के बाल विवाह विवाह का प्रमाण बहुत ज्यादा है।
- वैसे तो लड़कियां और लड़के दोनों ही बाल विवाह का शिकार होते हैं, लेकिन लड़कियों की तादाद बहुत अधिक है, और इसका विपरीत परिणाम भी लड़कियों पर अधिक गहरा होता है।
- जिन लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है और स्कूल से निकल जाती है, वह उचित समय-से-पूर्व गर्भवती होने, मातृ मृत्यु और बीमारी/खराब स्वास्थ्य, एवं बच्चे के कुपोषित होने के दुष्क्र में फँस जाती है।
- बाल विवाह की वजह से किशोर-किशोरी अच्छी शिक्षा के अवसर, अच्छी नौकरी, और व्यक्तिगत विकास से वंचित हो जाते हैं।



बाल विवाह समाप्त करने वाली रुकावटें एवं सामाजिक मानदंड को समझना



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- बाल विवाह का अंत करने में रुकावटों की सूची बना पाएंगे।
- सामाजिक मानदंड क्या है, और बाल विवाह संबंधी व्यवहार पर उनका क्या प्रभाव है, यह समझ पाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, रोले प्ले के लिए कहानियाँ (6)



प्रक्रिया

गतिविधि

- सभी प्रतिभागियों को 5–6 समूहों में बॉट दें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक समूह में 3–4 प्रतिभागी होने चाहिए।
- प्रत्येक समूह को एक कहानी दें। उन्हें उस पर चर्चा करने और बाद में रोले प्ले प्रस्तुत करने के लिए कहें। (कहानियाँ नीचे दी गयी हैं)
- जब एक समूह रोले प्ले प्रस्तुत करता है, तो अन्य समूहों के प्रतिभागियों को उसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहें और ऐसी सामाजिक प्रथाओं और व्यवहारों को नोट करने के लिए कहें जिससे बाल विवाह संभव होते हैं।
- सभी समूहों द्वारा रोले-प्ले प्रस्तुति के बाद सभी प्रतिभागियों से पूछें कि क्या उनका कभी इस तरह की या संबंधित परिस्थिति से सामना हुआ है, जहां सामाजिक दबाव की वजह से परिवार को अपनी बेटी का बाल विवाह करना पड़ा हो। प्रतिभागियों को ऐसे अनुभव सँझा करने के लिए कहें।
- रोले प्ले की कहानियों से और प्रतिभागियों के साथ चर्चा से उभर कर आए अन्य सभी सामाजिक मानदंडों को नोट करें। प्रतिभागियों को बताएं कि रोले प्ले की कहानियों में और जो परिस्थितियाँ हमने बोर्ड पर लिखी हैं वह सब सामाजिक मानदंडों का नतीजा है।
- अब हम सामाजिक मानदंडों पर और व्यक्ति और सामूहिक व्यवहार पर उनका क्या प्रभाव होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे।



सामाजिक मानदंड संबंधी रोले प्ले के लिए परिस्थितियां

स्थिति 1: राधिका और उसका मोबाइल



राधिका का गाँव शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत ही होनहार है। राधिका अपनी नौवीं कक्षा की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी। वह अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती है और आगे चलकर शहर में नौकरी करना चाहती है। राधिका के माता-पिता उसके पढ़ाई को लेकर बहुत उत्सुक हैं, उनका मानना है कि वह बड़ी होकर एक दिन जरुर आर्थिक रूप से संपन्न हो सकेगी। हाल ही में उसके पिता ने उसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर उपहार में एक मोबाइल फोन दिया था।

एक दिन राधिका अपने स्कूल से लौटते हुए, अपने दोस्त से मोबाइल पर बात कर रही थी। तभी राधिका के पड़ोस में रहने वाली मीना जो कि उसकी माँ की करीबी दोस्त हैं, राधिका के पास से गुजरती हैं। उन्होंने ने देखा कि राधिका अपने फोन पर व्यस्त है, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और बिना नमस्ते किए वहां से चली गई।

उसी शाम, मीना ने राधिका के घर पर जाकर उसकी माँ से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां बिगड़ रही हैं और अपनी परंपरा को भूलती जा रही हैं। राधिका ने मीना से उसके इस तरह बड़बड़ाने का कारण पूछा, इस पर मीना ने उन्हें बताया कि राधिका अपने स्कूल से वापस आते हुए अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसने उसपर ध्यान तक नहीं दिया और बिना नमस्ते किए आगे बढ़ गई।

राधिका की माँ ने यह कहते हुए मीना को शांत करने की कोशिश की कि राधिका सभी परंपराओं का पालन करती है और वह अपने से बड़ों का हमेशा आदर करती है। उन्होंने आगे मीना से कहा कि राधिका अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी से बात कर रही होगी।

मीना गुरुसे से घर से बाहर निकल आई और ताने मारते हुए कहां कि आप लोग अपने जवान बेटी को मोबाइल फोन देने का खमियाजा एक दिन जरुर भुगतेंगे। वह एक दिन किसी लड़के से शादी कर लेगी और अपने परिवार का बुरा नाम दिलवाएगी।

स्थिति 2: रीना के पिता की दुविधा

रीना के पिता एक लैब तकनीशियन के रूप में जिला अस्पताल में काम करते हैं। उसकी माँ भी उसी अस्पताल में एक नर्स हैं। उसके माता-पिता हर रोज काम करने के लिए 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उन्होंने अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल और अपनी खेती बाड़ी के कामों के लिए गाँव में रहना ही मुनासिब समझा। रीना के माता-पिता का मानना है कि बेटियों को प्यार किया जाना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल की जानी चाहिए।



एक दिन, रीना के पिता को उनके समुदाय के नेता ने अपने पास बुलाया। वहां पहुंचने के बाद नेता ने उन्हें गुरुसे में काफी डांटा, क्योंकि उनकी बेटी अन्य गाँव की लड़कियों के लिए गलत उदाहरण पेश कर रही थी। वह अक्सर उनसे अपनी शिक्षा जारी रखने और 18 साल से कम की उम्र में शादी करने के लिए 'ना' कहने के बारे में बात करती थी।

उन्होंने आगे रीना के पिता को सलाह दी कि वह गाँव का माहौल खराब न करें और रीना की शादी जल्द कर दें, क्योंकि वह परिवार के सम्मान के बाहक हैं और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए।

स्थिति 3: फिजा के भाई उसके साथ खड़े हैं

फिजा की उम्र 14 साल है और वह एक होनहार व खुशमिजाज लड़की है। वह अपने तीन भाइयों में इकलौती बहन है और उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ बहुत ही पुराने ख्यालात की है, उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि फिजा के पिता उसे इतनी आजादी देते हैं। फिजा के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर, पुलिस अधिकारी बन अपने सपने को पूरा करे।

एक दिन, फिजा के मामा—मामी उनके घर आते हैं। घर आकर फिजा के मामा उसके लिए एक रिश्ते की बात करते हैं। लड़का उसकी मामी का दूर का रिश्तेदार है और उनकी गाँव में एक किराने की दुकान है। लड़के का परिवार बहुत ज्यादा दहेज भी नहीं चाहता है। लड़का एक विधुर है, जिसकी पत्नी की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान हो गया था। लड़के का परिवार केवल एक घरेलू और सुंदर लड़की चाहता है, जो 3 महीने के बच्चे के साथ—साथ घर की देखभाल भी अच्छी से कर सके।



फिजा के पिता इतनी जल्दी शादी करने से हिचकते हैं और वह भी उससे 8–10 साल बड़े आदमी से। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। फिजा के मामा ने यह भी तर्क दिया कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा है? आखिरकार उसे शादी के बाद घर गृहस्थी का काम ही तो करना पड़ता है और बच्चों का लालन—पालन करना पड़ता है। इसलिए अच्छा होगा कि वह अब खुद से यह सब सीख लें ताकि जब उसके बच्चे होंगे तो उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यह सब सुनकर फिजा खूब रोई लेकिन अपने माता—पिता और रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं बोली, जो परिवार उसके कठीन परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा था।

शाम को, जब उसके भाई घर लौटे और उन्हें इन सब मामले के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पिता का समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने फिजा को आश्वासन दिया कि उसकी शिक्षा को रोका नहीं जाएगा और उसके सपने नहीं टूटेंगे। उन्होंने अपनी माँ से भी दृढ़ता से कहा कि वे इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे चाहे मामा के परिवार के साथ उनका रिश्ता ही क्यों न टूट जाए।

स्थिति 4: ममता ड्रॉप आउट

ममता की उम्र 13 साल है और 7 वीं कक्षा में पढ़ती है। पिछले महीने उसको पहली बार मासिक धर्म शुरू हुआ। इन सभी महीनों में, उसकी दादी पहले से ही उसकी माँ से ममता के यौनावस्था के बारे में पूछती रहती थी। जैसे ही दादी को ममता के माहवारी के बारे में पता चलता है, वह घोषणा कर देती है कि अब से ममता स्कूल नहीं जाएगी।



ममता कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे अपनी पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ रही है। उसकी कक्षा में कई लड़कियां हैं, जो माहवारी के बाद भी पढ़ाई करती हैं इसलिए ममता अपनी दादी से पढ़ाई जारी रखने के लिए आग्रह करती है। जबकि, दादी ने ही ममता को अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखने के लिए निर्धारित किया था।

ममता, दादी को समझाने के लिए अपनी माँ से बात करती है। जब माँ ने दादी से बात करने की कोशिश की, तो दादी, माँ से कहती है कि, 'ममता की शादी कर देना ही बेहतर है क्योंकि उसने यौनावस्था प्राप्त कर ली है, ऐसा न हो कि वह किसी के प्यार में पड़ जाए और हमारे परिवार का नाम बदनाम कर दे।'

स्थिति 5: झुमरी का संकल्प

13 साल की झुमरी के माता—पिता ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। उसका परिवार गांव के बाहरी इलाके में रहता है। अपने छह सदस्यों के परिवार के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था भी वे बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। जबकि झुमरी के माता—पिता और दो भाई भट्टे पर काम करते हैं, झुमरी घर पर अपने भाई के बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ घर के सभी काम भी करती है।

एक दिन एक दूर के रिश्तेदार उनके घर पर आते हैं और झुमरी के पिता को बताते हैं कि वह हरियाणा के कई गाँवों के बारे में जानते हैं, जहाँ गाँवों में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण दुल्हनों की कमी है। परिणामस्वरूप, उन गाँवों के लड़कों को दुल्हन नहीं मिल रही है और अगर वे अपनी लड़की वहाँ देने के लिए सहमत होते हैं तो लड़की के परिवार को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। झुमरी के पिता ने पहले से ही सुन रखा था कि कई बार शादी का ज्ञांसा देकर बाल तस्करी की जाती है इसलिए यह सुन वे थोड़ा हिचकिचाते हैं। पिता की हिचकिचाहट को देख, रिश्तेदार उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आखिरकर लड़कियों की शादी तो होनी है और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारा दहेज की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें पैसे के बदले दुल्हन के रूप में भेजा जाए जो दोनों परिवारों के लिए उचित होगा।

अंततः झुमरी के माता—पिता को भी लगा कि बदले में पचास हजार रुपए मिलना परिवार के लिए सौभाग्य होगा और लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं है।

रिश्ता तय हो गया और झुमरी की शादी पचास हजार रुपए के बदले एक बड़े व्यक्ति से कर दी गई। झुमरी को अपने ससुराल में घर के सभी काम करने पड़ते थे और पशुओं की देखभाल भी करनी पड़ती थी। इन सब के बावजूद अक्सर उसका पति उसके साथ मारपीट भी करता था। झुमरी ने अपनी कम उम्र में ही तीन बच्चों को जन्म दिया, जो कुपोषित थे और अक्सर ही बीमार रहते थे। झुमरी को भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, इसलिए वह भी बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले उसे दूसरे व्यक्ति को बेचने की योजना बना रहे हैं।

झुमरी ने अपनी पड़ोसन से इन सारी बातों का जिक किया, जिसने एक स्थानीय एनजीओ को झुमरी की स्थिति के बारे में बताया और उसके माता—पिता से संपर्क किया। उसके माता—पिता उसे शादी के बाद अपने पति के घर को संभालना ही लड़की की जिम्मेदारी होती है का हवाला देते हुए उसे वापस अपने घर नहीं लाने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि अगर हमारी ही बेटी शादी के बाद घर पर बैठेगी, तो हमारे बेटों को बेटियां कौन देगा।

एनजीओ के साथ—साथ ग्राम पंचायत के बहुत समझाने और हस्तक्षेप के बाद, झुमरी के माता—पिता उसे घर वापस लाने के लिए सहमत हुए। झुमरी को अपने गाँव में लौटे 8 महीने हो गए हैं। अब उसके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं, और वह एस.एच.जी. में शामिल हो गई है जो स्थानीय कृषि उपज को बढ़ावा देती है, उपज को बाद में आस—पास के गाँवों में बेचा जाता है।



झुमरी ने कसम खाई है कि जो वाक्या उसके साथ हुआ वह अपने बच्चों के साथ कभी होने नहीं देगी।

स्थिति 6: मीनाक्षी को मिली साइकिल की सौगात

मीनाक्षी एक होनहार छात्र है, जिसने गाँव के स्कूल में अपनी कक्षा 8वीं की पढ़ाई पूरी की। मीनाक्षी के शिक्षक भी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। मीनाक्षी के शिक्षक ने उसकी माँ को सलाह दी कि वह मीनाक्षी को पड़ोस के गाँव में हाई स्कूल में दाखिला दिलाए जहाँ वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। शिक्षिका ने मीनाक्षी की माँ को राज्य में लागू हुई साइकिल योजना के बारे में भी बताया है, जिसमें उच्च विद्यालयों में नामांकित लड़कियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। मीनाक्षी वास्तव में अपने अन्य सहपाठियों के साथ हाई स्कूल में जाने और एक नई साइकिल प्राप्त करने के लिए काफी उत्साहित थी।

मीनाक्षी के पिता उसे उच्च विद्यालय जारी रखने के लिए मीनाक्षी को गांव के बाहर भेजने के खिलाफ थे। मीनाक्षी के विनती करने के बावजूद भी उसके पिता सहमत नहीं हुए। तब मीनाक्षी ने अपने माता-पिता को समझाने के लिए अपने शिक्षक को घर पर बुलाया।

जब शिक्षक मीनाक्षी के माता-पिता से बात करने आए, तो उसके पिता ने अपनी बेटी को दूसरे गाँव में पढ़ाई करने जाने से मना कर दिया। उन्होंने एक पुराना वाकया दोहराते हुए कहाँ कि कुछ समय पहले एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी इसलिए वे ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिससे उनके बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? आखिरकार, वह परिवार की इज्जत है और हम परिवार की इज्जत को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते।

मीनाक्षी के शिक्षक ने तब पंचायत के सदस्यों और स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर इस मामले का फॉलोअप किया। इन सभी ने मिलकर मीनाक्षी के पिता को आश्वस्त किया कि अतीत में एक अनहोनी घटना होने की वजह से हमारी बेटियों को उनके मौलिक अधिकारों को शिक्षित करने में बाधा नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि गाँव में कई लड़कियाँ हैं जो पास के गाँव में हाई स्कूल में पढ़ती हैं और वे सभी एक समूह में एक साथ पढ़ने जाती हैं और वापस आती हैं।

अंत में, ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा उसकी बेटी की रुचि और प्रोत्साहन को देखते हुए, मीनाक्षी के पिता ने अपनी बेटी को उच्च विद्यालय में दाखिला करा दिया। उसे स्कूल जाने के लिए एक नई साइकिल भी मिली है।



सामाजिक मानदंड क्या है?

परिभाषा

प्रतिभागियों के साथ सामाजिक मानदंडों पर चर्चा करें और इसके उदहारण देने के लिए कहें। यह मानदंड विश्वास पर आधारित है।

यह व्यवहार का एक सिलसिला है जहां एक व्यक्ति इनको इसलिए अपनाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि:

- उसके समूह/बिरादरी के अधिकांश लोग इसका अनुसरण करते हैं (अनुभवजन्य अपेक्षा)
- उसके समूह/बिरादरी के अधिकांश लोग यह विश्वास करते हैं कि उन्हें इसका अनुसरण करना ही होगा

(मानदंडिया अपेक्षा)

सामाजिक मानदंडों के कुछ उदहारण इस प्रकार हैं:

- खुले में शौच करना
- बाल विवाह
- जाति के आधार पर भेदभाव

आदत, व्यवहार और सामाजिक मानदंडों में क्या अंतर हैं?

- आदत:** किसी चीज को आदतन करना या साधारण या पारंपरिक कार्य करना।
- व्यवहार:** यह ऐसे कार्य हैं जिन्हें देखा परखा जा सकता है, किसी के साथ कैसे पेश आते हैं, व्यक्तिगत व्यवहार या किसी परिस्थिति में दी गयी तमाम प्रतिक्रिया का सकल रूप।
- सामाजिक मानदंड:** किसी समाजिक समूह द्वारा सांझा रूप से अपनाया गया नियम या मानक।

| | उदाहरण | विशिष्ट विशेषता |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परंपरा | छतरी का उपयोग | दूसरों से करने की अपेक्षा पर निर्भर नहीं |
| वर्णनात्मक मानदंड | मुद्रा, भाषा, हाथ—मिलाकर या झुककर अभिवादन करना, फैशन | प्रवर्त्तन नहीं। दूसरों से किए जाने के अपेक्षा की जाती है, कमज़ोर प्रामाणिक प्रभाव |
| कानूनी मानदंड | वंशानुक्रम कानून, यातायात नियम | औपचारिक अनुमोदन द्वारा लागू न्याय एवं कोड), विशेष प्रवर्तकों द्वारा लागू (पुलिस, न्यायालय) |
| नैतिक मानदंड | किसी को चोट नहीं पहुँचाना | सार्वभौमिक, निष्पक्ष, आंतरिक प्रतिबंध, संभवतः बिना शर्त के (दूसरों के कार्यों या अपेक्षाओं की ज़्यादा परवाह नहीं) |

बाल विवाहः चुप्पी के मानदंड

अनुभवजन्य अपेक्षा

70 प्रतिशत किशोरियों और 73 प्रतिशत माताओं ने बताया कि उनके पड़ोस में आधे से भी कम किशोरियां यह जानती हैं कि उनकी शादी किसके साथ होने जा रही हैं।

80 प्रतिशत किशोरियों और 76 प्रतिशत माताओं ने बताया कि उनके पड़ोस में आधे से भी कम किशोरियों ने शादी से पहले अपने होने वाले पति को नहीं देखा था।

मानदंडिया अपेक्षा

किशोरियां यह मानती हैं कि उनके माता-पिता शादी तय करने के बारे में किशोरी को बताना उचित नहीं समझते, जब तक उसकी शादी तय न हो जाए।

किशोरियां यह मानती हैं कि अन्य लोग उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य से यह ना पूछे की उसकी शादी किसके साथ होनी चाहिए।

सामाजिक बहिष्कार

जो किशोरियां यह कहती हैं कि उनकी शादी कुछ देर के बाद की जाए, या अपने पसंद से शादी करना चाहती है, वह "बुरी" लड़कियाँ हैं या इसे घर के बड़े-बूढ़े स्वीकार नहीं करेंगे, और अक्सर भाई भी स्वीकार नहीं करेंगे।

खुद अपनी शादी के बारे में बात करना "यह लड़की का काम नहीं है" लड़की के बाल अपना सिर झुकाकर स्वीकार कर ले कि उसकी शादी कब और किसके साथ होगी।

सामाजिक मानदंड

यह → व्यवहार का एक सिलसिला है

जहां एक → व्यक्ति इनकों इसलिए अपनाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि

शर्त पर वे मानते हैं कि

* उसके समूह/ बिरादरी के अधिकांश लोग इसका अनुसरण करते हैं (अनुभवजन्य अपेक्षा)

* उसके समूह/ बिरादरी के अधिकांश लोग यह विश्वास करते हैं कि उन्हें इसका अनुसरण करना ही होगा (मानदंडिया अपेक्षा)

→ हम इस सामाजिक अपेक्षा में किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं?

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार और सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल

4



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल के पांच स्तरों के बारे में समझ पाएंगे।
- सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल हर एक स्तर पर समुदाय से कौन से व्यक्ति शामिल हैं इसकी सूची बना पाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, डॉल मॉडल, प्रस्तुति



प्रक्रिया

गतिविधि-1

1. प्रतिभागियों को पांच समूहों में बांट दें। प्रत्येक समूह को सामाजिक-पारिस्थितिक के पांच स्तरों का नाम दें। जमीन पर पांच संकेंद्रित वृत्त (कंसेंट्रिक सर्किल) बनायें। (नोट: वृत्त इतने बड़े बनाएं कि 5–6 व्यक्ति एक वृत्त में खड़े हो सकें)
2. पहले समूह-1 (व्यक्तिगत/सामान-आयु) को सबसे अन्दर वाले वृत्त में आकर खड़े होने के लिए कहें। उनसे पूछें कि बाकि बचे हुए चार समूहों में से कौनसा समूह उनपर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। समूह-1 के प्रतिभागियों के जवाब सुनने के बाद, समूह-2 (परिवार) को उनको घेरकर खड़े होने को कहें।
3. इसी तरह पाँचों समूहों को सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल के अनुसार खड़े होने के लिए कहें।
4. अब उन्हें बताएं कि इसे सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल (एस.ई.एम) कहते हैं। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए, उन्हें डॉल मॉडल के बाल विवाह के सन्दर्भ में एस.ई.एम.को समझाएं। इस बात को जोर देकर बताएं कि किसी भी सामाजिक मानदंड में टिकाऊ (दीर्घकालीन एवं स्थायी) परिवर्तन लाने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ऐसा परिवर्तन केवल तभी संभव हो सकता है जब उस परिवर्तन के लिए प्रत्येक स्तर पर सहयोगी और सक्षम बनाने वाला उत्प्रेरक वातावरण तैयार किया जाए।

चित्र 1: किशोर-किशोरियां और उन पर प्रभाव डालने वाले व्यक्ति



गतिविधि-2

- सभी समूहों से कहें कि अब वह अपने समूह में इस बात पर विचार मंथन करें कि एक डी.टी.एफ. बतौर बाल विवाह को समाप्त करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एस.ई.एम. के विभिन्न स्तरों पर वह किस तरह की संचार रणनीति अपनाएंगे या किस तरह की संचार सामग्री का उपयोग करेंगे।
- समूह कार्य होने के बाद सभी समूहों को अपने कार्य की प्रस्तुति करने के लिए कहें।
- प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं/अधिकारियों की क्या भूमिका है (व्यक्तिगत, अंतर्वैयक्तिक, सामुदायिक, संगठनात्मक, और नितिगत) और इन व्यक्तियों के साथ किस तरह से संवाद बनाया जाए इस बात पर चर्चा करें।

सत्र का समापन

बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में एस.ई.एम. मॉडल की प्रासंगिकता, विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका, और किस तरह से वह एक-दूसरे से जुड़े हुए है, इस बात को दोहराएं।

प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षण शैली एवं सुगमीकरण करने की कला



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- वयस्कों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करने वाले मुख्य कारकों के बारे में बता पाएंगे और प्रशिक्षण सत्रों के दौरान इनका उपयोग कर पाएंगे।
- प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांत और सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण क्या है यह बता पाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, शिक्षण शैली पर हैण्डआउट



प्रक्रिया

प्रौढ़ शिक्षा

- बोर्ड के आधे हिस्से पर यह सवाल लिखें:
 - "किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको कहां से प्रेरणा मिलती है?"
 - सहभागियों के उत्तरों को बोर्ड पर इस सवाल के नीचे लिखते जाएं।
- बोर्ड के बाकी आधे हिस्से पर यह सवाल लिखें:
 - "आप कैसे सीखते हैं?"
 - इस सवाल के जवाबों को भी बोर्ड पर लिखते जाएं।
- निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करें और उसको बोर्ड पर लिखें। इससे पहले लिए गए सत्र "शैक्षणिक वातावरण बनाना" का संदर्भ देते हुए चर्चा को जारी रखें:
 - सीखने में वयस्क का कोई निहित फायदा होना चाहिए।
 - वे स्वनिर्देशित हों।
 - उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर सीखने का मौका मिले।
 - उन्हें अपने ढंग से सीखने की आजादी हो।
 - सीखने की प्रक्रिया अनुभव पर आधारित हो।
 - सीखने के लिए उनके पास सही समय हो।
 - सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक और उत्साहजनक हो।
- वयस्कों को सीखने में मदद देने वाले निम्न कारकों पर चर्चा करें, यानि जब वे समझते हों कि उनके लिए किसी चीज़ को जानना या करना क्यों महत्वपूर्ण है।
- पूरी चर्चा के दौरान प्रतिभागियों के अनुभवों को चर्चा में लाते रहें।



सत्र का समापन

मुख्य बिंदुओं को दोहराएं और प्रतिभागियों को याद दिलाएं कि उन्हें अपने प्रतिभागियों के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के तरीके खोजने चाहिए, जो उनके प्रशिक्षण सत्रों के दौरान सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उचित होंगे।

शिक्षण शैली

1. 'शिक्षण शैली मूल्यांकन प्रारूप' को वितरित करें, **अनुलग्नक 3 देखें**
2. प्रतिभागियों को बताएं कि अब हम कैसे सीखते हैं पर स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। उन्हें एक-एक करके हैंडआउट में दिए गए बयानों को पढ़ने और प्रत्येक पंक्ति में एक विकल्प पर सही का निशान लगाने के लिए कहें, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ध्यान रखें कि वे दिए गए विकल्पों पर विचार-विमर्श न करें और उस विकल्प पर निशान लगाएं जो सबसे पहले विचार में उचित लगता है।
3. सभी वक्तव्य पढ़े जाने के बाद प्रतिभागियों से हर एक कॉलम में चिन्हों की कुल संख्या गिनने को कहें। सभी प्रत्येक प्रतिभागियों के लिए हर एक कॉलम के चिन्हों की कुल संख्या अलग-अलग होगी।
4. प्रतिभागियों से चर्चा करें और निम्नलिखित तथ्यों को उजागर करें:
 - तीन तरह की शिक्षण की शैलियां हैं— देखकर सीखना (विजुअल), सुनकर सीखना (ऑडीटरी), और करके सीखना (किनेस्थेटिक)।
 - देखकर सीखने वाले चित्रों पर निर्भर होते हैं। उन्हें ग्राफ, डायग्राम, और चित्र परसंद आते हैं। उनका लक्ष्य होता है "दिखाओ।" ऐसे प्रतिभागी अक्सर क्लास रूम में सबसे आगे बैठते हैं ताकि सुगमकर्ता को देखने में उन्हें कोई अवरोध न हो। वह जानना चाहते हैं कि विषय-वस्तु दिखती कैसी है। ऐसे प्रतिभागियों से संचार के लिए आप हैण्डआउट दे सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं, और "क्या आप देख रहे हैं यह कैसे काम करता है" जैसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं।
 - सुनकर सीखने वाले शिक्षा से संबंधित सभी आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनका लक्ष्य होता है "बताइए।" ऐसे प्रतिभागी आपकी हर एक आवाज और उनमें छुपे संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और चर्चा में सक्रियता से हिस्सा लेते हैं। ऐसे प्रतिभागियों के साथ स्पष्ट आवाज में बोलकर, सवाल पूछकर, और "यह बात आपको कैसी लगी?" जैसे वाक्यों द्वारा संचार कर सकते हैं।
 - करके सीखने वाले (किनेस्थेटिक) प्रतिभागियों के लिए किसी बात को समझने के लिए जरूरी है कि वह उस कार्य को करके देखे। उनका लक्ष्य होता है "चलो करके देखता हूं।" वह चाहते हैं कि जिस बात को वह सीखना चाहते हैं, उसे वह छूकर महसूस करें। इस तरह के प्रतिभागी अक्सर रोल प्ले जैसी गतिविधियों में आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह के प्रतिभागियों के साथ संचार करने के लिए उन्हें गतिविधियों में वालंटियर करने के लिए प्रोत्साहित करें, और पूछें "आपको यह गतिविधि करके कैसा महसूस हुआ।"

गतिविधि का समापन

- प्रतिभागियों को बताएं कि अधिकांश लोग सीखने के लिए तीनों शैलियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक शैली अधिक प्रबल होती है।
- अब सवाल यह है कि "सुगमकर्ता को यह कैसे पता चलेगा कि किस प्रतिभागी को कौन सी शैली प्रबल लगी?" न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की ट्रेनिंग का बगैर यह जानना बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए बेहतर यह है कि अपनी गतिविधियों में तीनों ही शैलियों का उपयोग किया जाए ताकि सभी प्रतिभागी इसमें शामिल हो पाए और सत्र प्रभावी और दो तरफा है।



- इसके अलावा तीनों ही तरह की शैलियों के उपयोग से शैक्षणिक वातावरण बनाने में आसानी होती है। किसी एक शैली का लंबे समय तक उपयोग करने से सीखने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

सुगमीकरण करने की कला

- प्रतिभागियों से अब तक के संचालित सत्रों के अनुभव बताने के लिए कहें:
 - किस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों?
 - वे कौन-सी चीजें हैं जिनको उनके द्वारा अपनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है और क्यों?
 - वे कौन-सी चीजें हैं जिनको वे कर्तव्य नहीं करेंगे और क्यों?
- बोर्ड पर जवाबों को लिखते जाएं।
- बोर्ड पर लिखी प्रतिक्रियाओं की मदद से मुख्य बिन्दुओं को दोहराएं।

प्रतिभागियों को बताएं कि अब हम विभिन्न संचार कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे सुगमीकरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

तालमेल बनाना

प्रतिभागियों को अपनी राय में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो एक प्रशिक्षण सत्र में चुप्पी तोड़ने और तालमेल बनाने में मदद कर सकते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और नीचे दी गई सूची से बिंदुओं को जोड़ें:

कुछ सहायक तालमेल निर्माण व्यवहार निम्न हैं:

- चुप्पी तोड़ना।
- हल्की-फुल्की बातें जिससे किसी पर कोई दोषारोपण ना हो। अपने साझा अनुभव या मौसम के बारे में बात करें, "आप यहां कैसे आए" इत्यादि जैसे प्रश्न पूछें।
- संवाद के दौरान पहले से ही बच्चे/व्यक्ति का नाम लेकर उसे संबोधित करें। ऐसा करना ना केवल शिष्टाचार है बल्कि आपको उनका नाम याद रह जाएगा, और आप उसे भूलेंगे नहीं।
- किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई भी सवाल सीधे ना पूछें।
- सामने वाले व्यक्ति की बातें ध्यानपूर्वक सुनें और साथ ही साझा अनुभव या परिस्थिति की और गौर करें, इससे शुरूआती संचार को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
- सामने वाले व्यक्ति की ओर लगभग 60 प्रतिशत समय तक देखें। पर्याप्त समय के लिए नज़र का संबंध बनाए रखें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि वो असहज महसूस नहीं करें।
- सामने वाले व्यक्ति की ओर झुककर बैठें और अपने हाथ-पैर खुले रखें। यह खुली शारीरिक भाषा है, जिससे आपको और सामने बैठे व्यक्ति को सहज होकर बात करने में सहायता मिलेगी।
- इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करें कि उसको संवाद में शामिल किया जा रहा है, और ना कि उसकी तहकीकात की जा रही है।
- सामने वाले व्यक्ति को आराम से बात करने का मौका दें, जिससे बातचीत का सहज प्रवाह बना रहे।
- जबकि शुरूआती बातचीत दोनों को सहज होने में सहायक होती है, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया अक्सर बिना किसी शब्द के अशाब्दिक माध्यम से होती है।

11. अपनी आवाज़ को इस तरह से ढालें, उसकी गति को बढ़ाएं या घटाएं जिससे आपकी बात रोचक और साथ ही सहज, खुली तथा दोस्ताना लगे। साथ की अपनी आवाज़ को नीचे, धीमी गति में और सौम्यता से रखें, जिससे संबंध आसानी से स्थापित हो सके।
12. जब आप सामने वाले व्यक्ति की किसी बात से सहमत होते हैं तो अपनी सहमति व्यक्त करें और साथ ही उसकी वजह बताएं। सामने वाले व्यक्ति की बात को आगे बढ़ाएं।
13. गैर—आलोचनात्मक भाव / रवैया अपनाएं। उस व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने से बचें और कोई पूर्वाग्रह ना रखें।
14. यदि आप उस व्यक्ति की किसी बात से असहमत हैं तो पहले असहमति की वजह बताएं और उसके बाद कहें कि आप उनसे असहमत हैं।
15. यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो इस बात को खुलकर स्वीकार करें। ईमानदार होना सबसे अच्छा तरीका है, और गलती मान लेने से विश्वास बढ़ता है।
16. सच्चे बने रहने से, शाब्दिक और प्रत्यक्ष व्यवहार से संचार का अधिकतम प्रभाव हासिल हो सकता है।
17. अच्छी बातों की तारीफ करें, गैर—जरूरी आलोचना से बचें, और हमेशा नम्रता से पेश आएं।
18. संबंध को बनाने और बरकरार रखने के लिए अवचेतन स्थिति में भी अशाब्दिक इशारों का, शारीरिक भाषा का, आंखों के संपर्क का, चेहरे के हाव—भाव का और अपनी आवाज़ का सामने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल बनाए रखें। यह बेहद जरूरी है कि उपयुक्त शारीरिक भाषा का उपयोग करें।

उदाहरण देना

ऐसे उदाहरण दिए जाने चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार और प्रासंगिक हो। उदाहरण देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- उदाहरण हकीकत पर आधारित हो।
- समझने में आसान हो।
- स्थानीय परिपेक्ष के अनुसार हो।
- चर्चा के विषय से संबंधित हो।
- उदाहरण में यदि किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया हो तो उसकी गोपनीयता को ध्यान में रखा जाए।

उदाहरण देने के लिए गतिविधि

प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटें। दोनों ही समूहों को एक केस स्टडी दें, और उनसे कहें कि वह उस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें और यह बताएं कि क्या उस केस स्टडी में दिया गया उदाहरण ऊपर दिए गए बिंदुओं के अनुसार है। प्रत्येक समूह को इस केस स्टडी में दिए गए उदाहरण की खासियत और कमियों को सभी प्रतिभागियों के सामने पेश करने के लिए कहें।

प्रतिस्थिति: प्रतिभागियों को यह कल्पना करने के लिए कहें कि डीटीएफ सदस्यों ने दशहरा के दौरान राजस्थान में कोटा जिले में एक छोटा समारोह आयोजित किया था। समारोह के दौरान, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी ने दर्शकों को संबोधित किया और निम्नलिखित दो उदाहरण सुनाएः



“नेपाल में, अभी भी बहुत छोटे बच्चों का परिवार और समुदाय वाले शादी करते हैं। वहां की सरकार बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ गिरावट तो आई है लेकिन यह अभी भी एक लंबा सफर है।”



गाँव में एक 16 साल की लड़की की शादी 19 साल के लड़के से होने वाली थी, आशा ने उसके परिवार वालों सावधानी बरतने और ऐसा न करने की सलाह दी थी। विवाह को लेकर उत्सव का माहौल चल रहा था, लेकिन इस मामले की जानकारी पाकर पंचायत के सदस्यों ने हस्तक्षेप कर विवाह को रोक दिया। बच्चों के माता-पिता को गिरफ्तार किया गया और शर्मिंदा किया गया। यह मामला आसपास के सभी गांवों में प्रचारित किया गया और बच्चों के नाम सबके सामने आ गए। इसकी वजह से अब कोई भी परिवार लड़की से शादी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि वे इस बात का हवाला देते हैं कि वह लड़की बुरा शगुन लेकर आई है। वह अब शर्म की जिंदगी जी रही है।

संक्षिप्त व्याख्या

"मैं अपनी लड़की का स्कूल में दाखिला कराने के लिए इतनी देर से कतार में इंतजार कर रहा हूं। मैं इसके लिए दूसरे गांव से 5 किलोमीटर चल कर आई हूं। मुझे पता है कि स्कूल स्टॉफ से नाराज होने की वजह से मुझे देर नहीं हुई है, बल्कि बहुत भीड़ थी।"

संप्रेषक: "आप शायद ये जानते व समझते हैं कि आपको खाना बनाने वाले पर गुस्सा नहीं होना चाहिए।"

संक्षिप्त व्याख्या करने का उद्देश्य:

- यह जताना कि बताने वाले ने जो कुछ कहा है उसे आप समझ गए हैं।
- बातों को सरल और स्पष्ट शब्दों में बताकर बोलने वाले व्यक्ति की मदद करना।
- ऐसा करने से बोलने वाले व्यक्ति को अपनी बात को और अधिक विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहन देना।
- अपनी समझ को जांच लेना।

प्रोत्साहन देना

जब तक संचार दो तरफा न हो, वह प्रभावी नहीं हो सकता। लोगों को खुलकर बोलने, प्रश्न पूछने और अपने विचार देने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही वो आपकी बातों से सहमत न हो। उनके विचारों और मतों का आदर करें। उनको प्रोत्साहन दें। उनके साथ अच्छा तालमेल स्थापित करें।

उदाहरण 1: मैंने आपको अपनी बेटी को कम से कम 12 वीं कक्षा तक शिक्षा जारी रखने के लाभों के बारे में समझाया था। यह अच्छा है कि आपने मेरी बात सुनकर यह सब करना शुरू कर दिया है।

उदाहरण 2: यह वास्तव में अच्छा है कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ-साथ उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए पास के गांव में हाई स्कूल में शामिल होने का फैसला किया है।

इन दो पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें और उनसे पूछें कि इनमें से कौन सा तरीका सही है और क्यों सही है।

साझांश करना

सारांश करने का अर्थ है एक या एक से अधिक संक्षिप्त व्याख्यानों को मिलाना जो सत्र के संदेशों को दर्शाते हैं।

लक्ष्य

- संदेशों के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना।
- इन संदेशों में किसी समान विषय या आकृति को पहचानना।
- बेवजह की बातों को रोकना।
- किसी सत्र की शुरुआत या अंत करना।
- प्रगति की समीक्षा करना।
- एक विषय से दूसरे विषय पर जाने के दौरान पढ़ाव की तरह इस्तेमाल करना।



प्रश्न पूछना

प्रश्न पूछना किसी भी संचार के दौरान हस्तक्षेप का अहम् हिस्सा है। यहां हम दो प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे – खुले प्रश्न और बंद प्रश्न।

(क) खुले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आसानी से “हां” या ”“नहीं”, या एक या दो शब्दों के वाक्य में नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए:

- मुझे बताइए कि दूसरे गाँव के हाई स्कूल में आने के दौरान आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
- घर पर आपकी दिनचर्या क्या है?
- अपनी पढ़ाई जारी न रखने के क्या कारण हैं?

खुले प्रश्न पूछने का लक्ष्य

- किसी विषय पर विस्तार से पूछने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सामने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना।

(ख) बंद प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब ”हां” या ”नहीं” या एक–दो शब्दों के वाक्यों द्वारा दिया जा सकता है।

उदाहरण

- क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखने की योजना बना रहे हैं?
- क्या आप सामुदायिक बैठकों में भाग लेते हैं?
- क्या आप कभी गाँव आशा के साथ अपने स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा करते हैं?

बंद प्रश्न पूछने का लक्ष्य

- कुछ विशेष जानकारी हासिल करना।
- किसी समस्या के मापदंड की पहचान करना।
- चर्चा के विषय को सीमित करना।
- किसी बड़बोले को रोकना।

गतिविधि: प्रतिभागियों को निम्न प्रश्नों के प्रकार की पहचान करने के लिए कहें:

1. क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद पहली संतान में देरी करना महत्वपूर्ण है?
2. क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले हैं?



3. अपने माता-पिता को समझाने के लिए आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, जिनसे आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं?
4. शादी करने के बाद आप अपने परिवार की देखभाल कैसे करते हैं?
5. क्या आप गाँव स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं?
6. अपनी पढ़ाई बंद करने के बाद आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं?

प्रश्न पूछते समय खुले और बंद प्रश्नों के अलावा कई अन्य बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है:

1. प्रश्न पूछते समय क्या ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए जो लोग आसानी से समझ सकें?
2. क्या एक समय में बहुत से प्रश्न पूछे जाने चाहिए?
3. क्या प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पाने के लिए इंतजार करना चाहिए?
4. जब कोई प्रश्न सही से समझ में नहीं आया हो, तो क्या वह प्रश्न उसी तरह से दोहराया जाना चाहिए या, अलग तरीके से पूछा जाना चाहिए?

इस चर्चा के आधार पर ऊपर दिए सभी विषयों का सार बताते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को दोहराएं, जो प्रभावी संचार के लिए ध्यान में रखना जरूरी है:

- सामने वाले व्यक्ति का उचित सम्मान करें।
- सही और पूरी जानकारी दें।
- लोगों की जरूरतों, समय, और सहूलियत के बारे में संवेदनशील बने रहें।
- गोपनीयता बनाए रखें।
- हमेशा सकारात्मक सोच रखें। लोग जैसे भी हैं, उनको स्वीकार करें। उनकी कमियों और खामियों की ओर इशारा न करें।
- किसी के बारे में जल्दी से किसी निर्णय पर न पहुंचें और न ही अत्याधिक आलोचनात्मक बनें।
- शांत और संतुलित बने रहें।
- तालमेल बनाए रखें।
- सही समय पर सही और सम्पूर्ण जानकारी देना महत्वपूर्ण है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो उसे स्वीकार करें।
- सामने वाले को प्रश्न पूछने और अपनी राय बताने का अवसर दें।

सत्र का समापन

- मुख्य बिंदुओं को दोहराएं और प्रतिभागियों को याद दिलाएं कि उन्हें प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रौढ़ शिक्षण के सिद्धांतों के इस्तेमाल के नए-नए तरीके ढूँढ़ने चाहिए।
- प्रतिभागियों को याद दिलाएं कि सुविधा एक कौशल है और इस पर निपुण होने के लिए, किसी को दृढ़ता के साथ विचार करने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कौशल को एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता है।

दिन का सार



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- दिन भर में किए गए सत्रों की मुख्य सीखों की सूची बना पाएंगे, और सत्रों पर उनकी प्रतिक्रिया देंगे।



सामग्री

- बोर्ड
- पेपर का बॉल



प्रक्रिया

प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया और टिप्पणी



प्रक्रिया

- 1) प्रतिभागियों से कहें कि यह दिन का अंतिम सत्र है, जहां वह आज के सत्रों की प्रमुख सीखों के बारे में सोच सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां दे सकते हैं, जिससे कि वह और अधिक प्रभावी बनायीं जा सकें। उन्हें बताएं कि आप कागज़ की बनी गेंद और जिस किसी के पास वह गेंद जाती है, उसे अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणी देने होंगे उसके बाद गेंद को किसी और प्रतिभागी की ओर फेकना होगा।

प्रतिक्रिया/टिप्पणी किसी सीख, भावना, या सुझाव के रूप में हो सकती है, जिससे सत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

- 2) बोर्ड पर तीन कॉलम बनाएं – सीख, भावना, और सुझाव कागज़ की बनी गेंद (पेपर बॉल) को किसी एक प्रतिभागी की ओर उछाले और उसे अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणी देने के लिए कहें। जब प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणी दे रहा हो, तो उसे बोर्ड पर उचित कॉलम में लिखें। प्रत्येक प्रतिभागी से एक प्रतिक्रिया/टिप्पणी लें ताकि सभी इसमें हिस्सा ले सकें। जब सभी प्रतिभागी पूरे हो जाएं तो सभी टिप्पणियों का सारांश पेश करें।

दिन 2

दिन 1 के सत्रों की मुख्य सीखों को दोहराना



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें।
- पिछले दिन के सत्रों संक्षिप्त में दोहराएं।
- दिन के सत्रों के बारे में बताएं।



तारुण्य पैकेज से परिचय



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- तारुण्य पैकेज की पृष्ठभूमि, पद्धति, प्रमुख हितग्राही, प्लेटफार्म (मंच) और उसके तहत संचार साधनों के बारे में समझा पाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, तारुण्य मार्गदर्शिका पर प्रस्तुति, तारुण्य पैकेज के तहत संचार सामग्री



प्रणाली

तारुण्य मार्गदर्शिका की समीक्षा, संचार सामग्री का प्रदर्शन, प्रस्तुति एवं चर्चा



प्रक्रिया

प्रतिभागियों को बताएं कि कल हमने राज्य और देश के स्टार पर बाल विवाह की क्या स्थिति है यह सीखा। हमनें सीखा कि सामाजिक मानदंडों क्या हैं और यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, और रुकावटें क्या हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह एस.बी.सी.सी. प्रणाली इन रुकावटों और चुनौतियों का पार करने में हमारी मदद करती है। हम तारुण्य पैकेज के तहत आने वाले संचार साधनों और उसकी मार्गदर्शिका के बारे में जानेंगे।


देश भर में किशोर—किशोरियों के लिए परिवर्तन को तेज करने के लिए बाल विवाह को समाप्त करना, यूनिसेफ के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है।

इस संदर्भ में यूनिसेफ भारत सरकार प्राथमिकताओं पर जोर दे रही है, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में पेश किया गया है जैसे, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, महिला शक्ति केंद्र, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और सबला।

इसके अलावा परिवारों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे किशोरियों को होने वाले जोखिम जैसे जेंडर और जाति के आधार पर भेदभाव को कम किया जा सके, जिसके चलते किशोरियों की सेवाओं तक पहुंच और उसका उपयोग प्रभावित होते हैं।

इस दिशा में, किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए छोटे—पैमाने के और मुख्य तौर पर क्षेत्र—विशेष हस्तक्षेपों के स्थान पर बड़े—पैमाने के जिला स्तरीय मॉडल की ओर रुख किया जा रहा है, जो कि सरकार के मौजूदा कार्यक्रमों पर आधारित है।

चित्र 2: कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अभिसरण



बाल विवाह को समाप्त करने लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तमाम तकनीकी सहायता, समन्वय, अभिसरण और मॉनिटरिंग कार्यों के लिए केंद्र बिंदु हैं।


मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यह मूल मंत्रालय हैं जो क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास के तहत जरूरी सेवाएं प्रदान करते हैं।

युवा मामले और खेल मंत्रालय किशोर/किशोरियों के व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण के लिए कार्य करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत नौजवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में मुख्य भूमिका अदा करता है।

किशोर/किशोरी के समग्र विकास के लिए यह सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा।

नोट: विभिन्न हितग्राहियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और योजना मंचों के लिए संलग्नक—III देखें।

सरकार के इन कार्यक्रमों और योजनाओं के अलावा किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कई अन्य गैर-सरकारी हितग्राहियों के साथ साझेदारी बनायी गयी है। इसमें शामिल है:



प्रभावी व्यक्ति, थिंक टैंक
(विचार मंच), सेलेब्रिटी,
मीडिया

निजी क्षेत्र

शिक्षा संरक्षण और सिविल सोसाइटी
संगठन (सी.एस.ओ.) जिसमें डेवलपमेंट
पार्टनर शामिल है।

बालंटियर एवं समुदाय
आधारित संगठन

लक्षित समूहों का वर्गीकरण

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सभी लक्षित समूहों और हितग्राहियों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। (चित्र देखें)

प्राथमिक समूह
जिनमें परिवर्तन लाना है

- 10–19 वर्ष के किशोर/किशोरी
- माता–पिता एवं परिवार के सदस्य (दादा–दादी, चाचा–चाची, बड़े भाई/बहन)

द्वितीयक समूह
जो प्राथमिक समूह के व्यवहार को
प्रभावित करते हैं

- शिक्षक
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता (ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा)
- समुदाय के नेता, जाती के नेता
- धार्मिक नेता, पंचायत सदस्य
- स्वयं–सहायता समूह, किसान समूह, दूध फेडरेशन
- सामुदायिक ढांचा, ग्राम सभा
- बाल संरक्षण समिति

तृतीयक समूह

जो किशोर/किशोरियों के लिए अनुकूल ढांचागत सुविधाएं यमन सामाजिक वातावरण तैयार करते हैं।

- जिला स्तर: जिला मेजिस्ट्रेट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण सोसाइटी, पुलिस, मुख्या शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, मीडिया, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं–सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान।
- राज्य स्तर: शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, युवा मामले, मीडिया, मुख्या मंत्री, विधायक, पुलिस, सांसद, सेलेब्रिटी, धार्मिक संस्थान

तारुण्य पैकेज

तारुण्य पैकेज में किशोर/किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए एस.बी.सी.सी. सामग्री एवं संसाधन शामिल हैं।

यह पैकेज किशोर/किशोरियों के लिए एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेप को लागू करने वालों के लिए बनाया गया है। यह पैकेज यूनिसेफ के सामाजिक–पारिस्थितिक मॉडल एवं एस.बी.सी.सी. प्रक्रिया के आधार पर किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया है। यह पैकेज प्रमुख किशोर/किशोरी व्यवहार पर पीयर संवाद, अंतर–पीढ़ी–संवाद और समुदाय के साथ संवाद को शुरू करने के लिए तैयार किया गया है।



तारुण्य एक अनोखा साधन है, क्योंकि यह विभिन्न तरह के एस.बी.सी.सी. सामग्रियों को सुसंगत बनाता है और इन सामग्रियों को अलग-अलग और एक साथ दोनों ही तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, ताकि लक्षित समूहों के साथ लगातार और प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सके।

यह पैकेज अलग-अलग सामग्रियों को एक सूत्र में बांधता है, जिसे एक दूसरे से जुड़े कई विषयों पर विभिन्न तरह के हितग्राहियों के साथ कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह केवल भिन्न-भिन्न संचार सामग्रियों का संकलन मात्र नहीं है बल्कि बहु-चैनल संचार द्वारा किशोर/किशोरियों के जीवन में दीर्घकाल के लिए वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक रणनीतिक साधन है।

इस पैकेज की सामग्री नीचे दिए गए लक्षित समूहों के साथ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पर केन्द्रित है:

किशोर/किशोरियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर पीयर संवाद के जरिए: पीयर संवाद के जरिए किशोर/किशोरियों को सीधे बातचीत की जा सकती है जिससे उनके ज्ञान और कौशल में बढ़ोतरी होगी और वह जागरूक हो जाएंगे। यह तरीका किशोर/किशोरियों द्वारा जानी-अनजानी जरूरतों, उनकी चिंताओं और समस्याओं, आकांक्षाओं और सपनों को उजागर करने में मदद करता है। अपने पीयर के साथ मेलजॉल के मंच (प्लेटफार्म) किशोर/किशोरियों को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और एक दूसरे से सीखने और सकारात्मक हल निकालने का अवसर देते हैं।

अंतर-पीढ़ी संवाद के जरिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ संचार: किशोर/किशोरियों के अधिकारों और आकांक्षाओं के बारे में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों को जागरूक करने के लिए उनके साथ बातचीत करना जरूरी है। ऐसा करने से उनकी मनोवृत्ति में बदलाव लाया जा सकता है और किशोर/किशोरियों के लिए परिवार में एक सहयोगी वातावरण बनाया जा सकता है। परिवारों को इस इसमें शामिल करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है किशोर/किशोरियों के स्वरूप, शिक्षा और कौशल विकास के अधिकार उन्हें हासिल हो सके। ऐसा करने से उन पर जल्दी से विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और वह खुद को समर्थ बनाकर सही विकल्प चुन पाएंगे। एक जानकार और सशक्त परिवार सामाजिक मानदंडों और सामाजिक दबाव के खिलाफ जा सकता है और अपने बच्चों के लिए जो सही है उसका चुनाव कर सकते हैं।

सामाजिक लाम्बंदी के जरिए समुदाय के साथ संवाद: सामाजिक मानदंडों में और सामाजिक ढांचे में गैर-बराबरी में परिवर्त तभी लाया जा सकता है, जब समुदाय इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हो। इसके लिए समुदाय के साथ संवाद जरूरी है जिससे वह इस बात को जान पाएं कि बाल विवाह और जेंडर भेदभाव की प्रथा की वजह से हम अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार समुदाय बाल विवाह को ठुकरा देता है तो समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के रास्ते खुल जाते हैं। समुदाय के साथ सहकार्य किशोर/किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करने और योग्य वातावरण तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है।

तारुण्य पैकेज की सामग्री

सभी प्रतिभागियों को संचार सामग्री की सूची दें।

इस पैकेज में 50 से अधिक सामग्री शामिल है जिसमें व्यक्ति, समूह और मास-कम्युनिकेशन के लिए प्रिंट, ऑडियो, ऑडियो-विजुअल समग्री है। यह सामग्री भारत सरकार, यूनिसेफ अंस राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गयी गई। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामग्री में विशेष आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामग्री में लक्षित समूह की जरूरत के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। उपयोग को सरल बनाने के लिए पैकेज की सामग्री का निम्नलिखित वर्णकरण किया गया है:

-  **माध्यम का प्रकार:** प्रिंट, ऑडियो, ऑडियो-विडिओ
-  **सामग्री का प्रकार:** रणनीति दस्तावेज, मार्गदर्शक नोट, टूल-किट, फ़िलपबुक, पोस्टर, बैनर, लीफलेट, रेडियो स्पॉट, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट (पी.एस.ए.), इत्यादि।
-  **विषय:** बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और किशोर/किशोरी सशक्तिकरण और इन विषयों मिश्रण
-  **कैसे उपयोग करें:** पीयर, अंतर-पीढ़ी, समुदाय और सामाजिक लाम्बांदी, या फिर इनका मिश्रण
-  **लक्षित समूह:** किशोर/किशोरी, माता-पिता, समुदाय, प्रभावी व्यक्ति एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता
-  **कौन उपयोग कर सकता है:** सरकार अधिकारी, डेवलपमेंट पार्टनर, समुदाय आधारित संगठन, एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता

नोट: तारुण्य पैकेज के तहत संकलित सभी संचार सामग्रियों की सूची के लिए संलग्नक-V देखें)

सत्र का समापन

निम्नलिखित बिंदुओं को दोहराएं:

- तारुण्य पैकेज को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत तैयार की गयी संचार सामग्री का अभिसरण करने तैयार किया गया है, जिससे अलग-अलग स्तर पर इनका उपयोग किया जा सकता है।
- तारुण्य एक अनोखा साधन है, क्योंकि यह विभिन्न तरह के एस.बी.सी.सी. सामग्रियों को सुसंगत बनाता है और इन सामग्रियों को अलग-अलग और एक साथ दोनों ही तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, ताकि लक्षित समूहों के साथ लगातार और प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सके।
- यह पैकेज किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पीयर, अंतर-पीढ़ी और समुदाय संवाद की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

तारुण्य पैकेज- संचार सामग्री का चयन



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- एस.बी.सी.सी., सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल, सामाजिक मानदंड और तारुण्य पैकेज पर अपनी समझ के आधार पर सामाजिक-पारिस्थितिक मॉडल की अलग-अलग परतों के हितग्राहियों के लिए उचित संचार सामग्री को पहचान पाएंगे और उसकी सूची बनाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, तारुण्य मार्गदर्शिका पर प्रस्तुति, तारुण्य संचार सामग्री



प्रणाली

समूह कार्य एवं प्रस्तुति



प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को (एस.ई.एम. की पांच स्तरों के अनुसार) पांच समूहों में बांटें।
- प्रत्येक समूह से कहें कि वह उसे दिए गए स्तर के हितग्राहियों के लिए उपयुक्त संचार सामग्री पर चर्चा करें और उसका चयन करें।
- प्रत्येक समूह से अलग-अलग परिस्थिति के लिए उचित संचार सामग्री की पहचान करने के लिए कहें। जिसका उपयोग किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए लक्षित समूह के साथ चर्चा करने और उनको वांछित व्यवहार अपनाने को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रत्येक समूह को तारुण्य मार्गदर्शिका के अनुसार अलग-अलग परिस्थिति और लक्षित समूह के साथ अंतर्वैयक्तिक संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार/समूह संचार/सामुदायिक लामबंदी/पैरवी करने के लिए उचित संचार सामग्री का चयन करने के लिए कहें।
- जब सभी समूह संचार सामग्री का चयन करने का कार्य पूरा कर लें, उन्हें इसकी प्रस्तुति करने के लिए कहें। वह इस बात को विस्तार से समझाए कि चयन की गयी संचार सामग्री किस तरह किशोर/किशोरी सशक्तिकरण करने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सामुदायिक लामबंदी और व्यवहार परिवर्तन में सहायता करेगी।
- जब एक समूह प्रस्तुति कर रहा हो तो अन्य समूहों के प्रतिभागियों को इस पर ध्यान देने और अपने विचार सांझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

सत्र का समापन

निम्नलिखित बिंदुओं को दोहराएः

- तारुण्य पैकेज में शामिल संचार सामग्री को एकाकी रूप में ना देखकर उसे एक पैकेज के रूप में देखें जिसे अलग-अलग लक्षित समूहों के साथ प्रभावी तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है।
- एक ही सामग्री का एक से अधिक लक्षित समूह के साथ अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
- इसी तरह से बाल विवाह के मुद्दे पर प्रभावी तरीके से संचार करने के लिए एक से अधिक संचार सामग्री और प्रणाली या उसे मिलाकर उपयोग किया जा सकता है।
- इस पैकेज में कुछ ऐसी सामग्री भी दी गयी है जो इन संचार सामग्रियों का उपयोग करने वालों के लिए तैयार की गयी है, और जो किशोर/किशोरी से संबंधित विषयों पर अधिक जानकारी देते हैं, जैसे इन समूहों के साथ किस तरह से काम किया जा सकता है। यह सामग्री केवल ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने के लिए दी गयी है, और यह लक्षित समूह के लिए उचित न हो।
- इस पैकेज के प्रभावी उपयोग के लिए संलग्नक-IV में दिए गए “क्या करें” और “क्या ना करें” का अवश्य उपयोग करें।

संचार सामग्री का उपयोग

4



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- तारुण्य पैकेज में शामिल फ़िलप बुक, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, खेल, पारंपरिक मीडिया, इत्यादि सामग्रियों का प्रभावी उपयोग कर पाएंगे।
- इन संचार सामग्रियों के उपयोग के लिए उचित लक्षित समूह, प्लेटफार्म की सूची बनाएंगे और संचार सामग्रियों के फायदे, सीमाएं, "क्या करें", "क्या ना करें" इसको विस्तार से समझा पाएंगे।



अवधि:
120 मिनट



सामग्री

बोर्ड, तारुण्य मार्गदर्शिका, तारुण्य संचार सामग्री, संचार सामग्री का प्रभावी उपयोग पर फ़िल्म।



प्रणाली

समूह कार्य एवं प्रस्तुति



प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को समूहों में बांटें।
- प्रत्येक समूह को कम से कम एक तरह की संचार सामग्री दें।
- उनसे कहें कि वह अपने समूह में चर्चा करें कि इस सामग्री का किस तरह प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
- उन्हें इस सामग्री के उपयोग के फायदे और क्या सीमाएं उसकी सूची बनाने के लिए कहें, साथ ही सामग्री के उपयोग के दौरान "क्या करें" और "क्या ना करें" इसको भी नोट करें।
- उन्हें दी गयी संचार सामग्री के उपयोग के लिए कौनसे अवसर/प्लेटफार्म हो सकते हैं इस पर चर्चा करें और उनकी सूची बनाने के लिए कहें। साथ ही उन प्लेटफार्म के फायदे और सीमाओं, और इन प्लेटफार्म पर "क्या करें" और "क्या ना करें" उसकी चर्चा करने और सूची बनाने के लिए कहें।
- सभी समूहों द्वारा गतिविधि को करने के बाद उनको इसकी प्रस्तुति करने के लिए कहें।
- अन्य समूहों के प्रतिभागियों को अपनी प्रतिक्रिया सॉंज़ा करने, कोई छूटी हुई बात जोड़ने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों को "संचार सामग्री का प्रभावी उपयोग" यह फ़िल्म दिखाएं।

सत्र का समापन

निम्नलिखित बिंदुओं को दोहराएं:

- संचार को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त संचार सामग्री और सही प्रणाली का उपयोग करना जरूरी है।



किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना

5



संक्षिप्त विवरण

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- मौजूदा कार्यक्रम और योजनाओं द्वारा प्रदान किये गए मंचों और उपलब्ध बजट एवं जुटाए गए संशाधनों के आधार पर किशोर सशक्तिकरण के लिए जिला स्तर की संचार योजना बनाने की प्रक्रिया को समझा पाएंगे।



सामग्री

तारुण्य मार्गदर्शिका, तारुण्य संचार सामग्री, योजना प्रपत्र



प्रणाली

समृद्धि कार्य, प्रस्तुति, मॉडल योजना एवं बजट प्रपत्र का प्रदर्शन, और चर्चा



पकिया

- प्रतिभागियों को योजना प्रपत्र दिखाएं। (संलग्नक—vi देखें)
 - प्रपत्र में दिए गए प्रत्येक कॉलम के अर्थ को समझाएं और यह बताएं कि उसमें क्या भरा जाना चाहिए।
 - मॉडल योजना प्रपत्र का पर प्रदर्शन करें।

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|-------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| क्रमांक | लक्ष्य | गतिविधि | संचार इनपुट | आउटपुट | आउटकम (परिणाम) | निगरानी सूचक | सत्यापन का तरीका | संचार सामग्री | इकाई मूल्य | इकाई संख्या | कुल कीमत | निधि का छोत |
|---------|--------|---------|-------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|

4. सभी प्रतिभागियों को समूहों में बांटें। (प्रत्येक समूह में 3–5 प्रतिभागी हों)
5. प्रत्येक समूह को इस प्रपत्र के अनुसार अपनी परियोजना के लिए योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहें।
6. समूह कार्य के अंत में प्रतिभागियों से पूछें कि क्या उन्हें योजना प्रपत्र को पूरा करने में कोई परेशानी आई है या उनके कोई सवाल हैं।
7. संचार योजना तैयार करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए इस बारें में प्रतिभागियों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें।
8. प्रतिभागियों द्वारा पाए गए बिन्दुओं को बोर्ड पर लिखें और सत्र के मुख्य बिन्दुओं को दोहराएं।

सत्र का समापन

निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं को दोहराएं:

- किशोर/किशोरी सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेप के लिए संचार योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- योजना बनाने से पहले मौजूदा परिस्थिति का आंकलन करें और एक बेसलाइन स्थापित करें।
- दीर्घ-कालीन नजरिये के साथ योजना बनाएं – जैसे जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए, राज्य स्तर पर 5 वर्ष के लिए, इत्यादि. लेकिन योजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें।
- योजना का ड्राफ्ट बनाते समय योजना को लागू करने में भूमिका अदा करने वाले सभी हितग्राहियों को इसमें शामिल करें, और योजना में अंतर-विभागीय अभिसरण को शामिल करें।
- इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें – हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों, कैसे, कब, और किसके साथ, क्या कोई शर्तें या सीमाएँ हैं, इसको लागू करने के लिए किन संसाधनों को आवश्यकता होगी?
- स्मार्ट लक्ष्यों के साथ योजना को यथार्थवादी रखें। स्मार्ट लक्ष्य – विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समय पर।
- लक्ष्यों को नजर में रखते हुए आउटकम (परिणाम), आउटपुट, इनपुट, गतिविधि, और संसाधन, निगरानी सूचक को पहचाने और निर्धारित करें।
- सभी हितग्राहियों की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करें।
- जब योजना पूरी बन जाए तो उसे उन सभी लोगों के साथ साँझा करें जो इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- एक बार तय हो जाये तो योजना के मुताबिक काम करें, लेकिन साथ ही थोड़ा लचीलापन बनाये रखें।
- मापने योग्य निगरानी सूचकों के जरिये आउटपुट और आउटकम (परिणामों) को जांचें और योजना की प्रगति की निगरानी करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि एस.बी.सी.सी. के द्वारा आने वाले परिवर्तनों को मापना हमेशा संभव नहीं होता है, इसलिए दोनों संख्यात्मक और गुणात्मक सूचकों को पहचाने और शामिल करें।
- इस बात पर विश्वास बनाये रखें कि परिवर्तन संभव है और हम उसे हासिल कर सकते हैं।

गतिविधियों और परिणामों की मॉनिटरिंग



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- संचार के परिणामों की निगरानी करने के प्रणाली और सूचकांक को समझा पाएंगे।



सामग्री

बोर्ड, प्रस्तुति



प्रणाली

निगरानी के नमूने पर प्रस्तुति और चर्चा



प्रक्रिया

- प्रतिभागियों को मॉनिटरिंग प्रपत्र दिखाएं और उसका उपयोग कैसे किया जाए यह समझाएं (संलग्नक VII देखें)
- प्रतिभागियों को बताएं कि मॉनिटरिंग (निगरानी) का अर्थ है योजना के साथ कार्य की प्रगति की तुलना करना। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि "यदि किसी कार्य की मॉनिटरिंग हो रही है तो यह माना लिया जा सकता है कि कार्य जरूर होगा, या कार्य बेहतर तरीके से होगा"।
 - यह कार्यक्रम के बारे में सुनियोजित तरीके से जानकारी को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और लक्ष्य की ओर कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए और मैनेजमेंट के फैसलों को दिशा देने के लिए उपयोग की प्रक्रिया है।
 - सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार के संदर्भ में मॉनिटरिंग करना बेहद जटिल है, क्योंकि व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना एक बेहद धीमी और बार-बार दोहरायी जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए योजना के पड़ाव पर ही एक निगरानी रूपरेखा (मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है।
 - इस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि और हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को लागू करने वालों को यह बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है कि किस चीज को मॉनिटर लिया जाना है, उसे कैसे मॉनिटर किया जाएगा, और कौन और कब इसे मॉनिटर करेगा।
 - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम हासिल हो रहे हैं तो किसी भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप की प्रत्येक इकाई के तहत गतिविधियों, उसकी पहुँच, गुणवत्ता, प्रक्रिया और प्रभावशीलता की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

| मॉनिटरिंग के प्रकार | उद्देश्य | उदहारण | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गतिविधियों की मॉनिटरिंग | यह जानना कि क्या व्यवहार परिवर्तन के लिए सभी गतिविधियाँ योजना की अनुसार निर्धारित की जा रही हैं, क्या प्रशिक्षित मानव संसाधन को काम पर लगाया जा रहा है, और क्या रसद और सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। | क्या बाल विवाह के विषय पर किशोर-किशोरियों के बीच पीयर संवाद और अंतर-पीढ़ी निर्धारित आवृत्ति पर समय के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। | |
| कवरेज/पहुँच की मॉनिटरिंग | यह जानना कि क्या एस.बी.सी.सी. गतिविधियों द्वारा लक्षित जनसमुदाय की निर्धारित संख्या तक पहुँचा जा रहा है। | जहां बाल विवाह अधिक संख्या में हो रहे हैं, ऐसे कितने गाँव को काबर किया गया है, कितने किशोर/किशोरियों और उनके माता-पिता को बाल विवाह के करक और उनके दुष्परिणाम के बारे में संवेदनशील बनाया गया है। | |
| गुणवत्ता की मॉनिटरिंग | यह सुनिश्चित करना कि सही लक्षित समुदाय से संवाद किया जा रहा है, दिए जाने वाले संदेश मौजूदा परिस्थिति और लक्षित समूह के लिए प्रासंगिक है, और वह संदेश और मिलने वाली सेवाओं से संतुष्ट है। | क्या अधिक जोखिम वाले बच्चे, और परिवार जो बाल विवाह का अभ्यास करते हैं, बाल विवाह का अधिक प्रमाण वाले गाँव समुदाय, प्रमुख प्रभावशील व्यक्ति और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेप के दौरान पहंचा गया है। | क्या अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है जिससे वह समुदाय के साथ संवाद स्थापित करते हुए और उनको अपने कार्य से जोड़ते हुए बाल विवाह का स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक भलाई, और प्रोड़ जिन्दगी पर होने वाले परिणामों के संबंध में सही संदेश दे सके। या यह लोग एस.बी.सी.सी. गतिविधियों से संतुष्ट हैं। |
| प्रक्रिया की मॉनिटरिंग | यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, वह अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार की मार्गदर्शिका का अनुसरण कर रहे हैं, और लक्षित समूहों की मनोवृत्ति में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उसे बरकरार रखने के लिए फॉलो-उप तंत्र मौजूद है। | जिन सुगमकर्ता को तारुण्य पैकेज पर प्रशिक्षित किया गया है, क्या वह बाल विवाह पर अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार के लिए सही प्रक्रिया को अपना रहे हैं? क्या वह माता-पिता, किशोर/किशोरी, प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों को बाल विवाह को ठुकराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। | |

| मॉनिटरिंग के प्रकार | उद्देश्य | उदहारण |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रभावशीलता की मॉनिटरिंग | यह जांचना कि क्या लोगों को संदेश समझ में आ रहे हैं, कितने लोगों परिवर्तन को अपनाया है, उसको बरकरार रखे हुए हैं, समर्थन सेवा का उपयोग कर रहे हैं। | किशोर/किशोरी, माता-पिता, और परिवार के लोग का प्रमाण जो बाल विवाह के कारकों और परिणामों के बारें में जागरूक है, ऐसे कितने लोगों ने बाल विवाह को ठुकराया है, ऐसे कितने किशोर/किशोरी हैं जिन्होंने जबरदस्ती से विवाह करने की स्थिति में सहायता की मांग की है। |
| गतिविधियों की मॉनिटरिंग | यह जानना कि क्या व्यवहार परिवर्तन के लिए सभी गतिविधियों योजना की अनुसार निर्धारित की जा रही है, क्या प्रशिक्षित मानव संसाधन को काम पर लगाया जा रहा है, और क्या रसद और सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। | क्या बाल विवाह के विषय पर किशोर-किशोरियों के बीच पीयर संवाद और अंतर-पीढ़ी निर्धारित आवृत्ति पर समय के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। |
| कवरेज/पहुँच की मॉनिटरिंग | यह जानना कि क्या एस.बी.सी.सी. गतिविधियों द्वारा लक्षित जनसमुदाय की निर्धारित संख्या तक पहुंचा जा रहा है। | जहां बाल विवाह अधिक संख्या में हो रहे हैं, ऐसे कितने गाँव को काबर किया गया है, कितने किशोर/किशोरियों और उनके माता-पिता को बाल विवाह के करक और उनके दुष्परिणाम के बारें में संवेदनशील बनाया गया है। |
| गुणवत्ता की मॉनिटरिंग | यह सुनिश्चित करना कि सही लक्षित समुदाय से संवाद किया जा रहा है, दिए जाने वाले संदेश मौजूदा परिस्थिति और लक्षित समूह के लिए प्रासंगिक है, और वह संदेश और मिलने वाली सेवाओं से संतुष्ट हैं। | क्या अधिक जोखिम वाले बच्चे, और परिवार जो बाल विवाह का अभ्यास करते हैं, बाल विवाह का अधिक प्रमाण वाले गाँव समुदाय, प्रमुख प्रभावशील व्यक्ति और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक एस.बी.सी..सी. हस्तक्षेप के दौरान पहुंचा गया है। क्या अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है जिससे वह समुदाय के साथ संवाद स्थापित करते हुए और उनको अपने कार्य से जोड़ते हुए बाल विवाह का स्वारथ्य, शिक्षा, मानसिक भलाई, और प्रोड जिन्दगी पर होने वाले परिणामों के संबंध में सही संदेश दे सके। या यह लोग एस.बी.सी.सी. गतिविधियों से संतुष्ट हैं। |

| मॉनिटरिंग के प्रकार | उद्देश्य | उदहारण |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रक्रिया की मॉनिटरिंग | यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, वह अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार की मार्गदर्शिका का अनुसरण कर रहे हैं, और लक्षित समूहों की मनोवृत्ति में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उसे बरकरार रखने के लिए फॉलो-उप तंत्र मौजूद हैं। | जिन सुगमकर्ता को तारुण्य पैकेज पर प्रशिक्षित किया गया है, क्या वह बाल विवाह पर अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार के लिए सही प्रक्रिया को अपना रहे हैं? क्या वह माता-पिता, किशोर/किशोरी, प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों को बाल विवाह को ठुकराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। |
| प्रभावशीलता की मॉनिटरिंग | यह जांचना कि क्या लोगों को संदेश समझ में आ रहे हैं, कितने लोगों परिवर्तन को अपनाया है, उसको बरकरार रखे हुए हैं, समर्थन सेवा का उपयोग कर रहे हैं। | किशोर/किशोरी, माता-पिता, और परिवार के लोग का प्रमाण जो बाल विवाह के कारकों और परिणामों के बारे में जागरूक है, ऐसे कितने लोगों ने बाल विवाह को ठुकराया है, ऐसे कितने किशोर/किशोरी हैं जिन्होंने जबरदस्ती से विवाह करने की स्थिति में सहायता की मांग की है। |

सत्र का समापन

निम्नलिखित बिंदुओं को दोहराएः

- मॉनिटरिंग को कार्यक्रम की योजना में शामिल करें।
- पूरी परियोजना के दौरान इसे जारी रखें।
- मॉनिटरिंग सूचकांक परियोजना के आउटपुट और परिणामों के अनुसार बनाएं।
- मॉनिटरिंग के लिए भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट तौर से निर्धारित करें।
- परियोजना को लागू करने के दौरान कमियों को दूर करने (मिड-कोर्स करेक्शन) के लिए जानकारी का विश्लेषण करना चर्चा करना और समय पर रिपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला के अंतिम दिन

का समापन



सत्र के परिणाम

सत्र के अंत में प्रतिभागी:

- सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला से उनकी मुख्य सीखों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें। इन सीखों को फिर से दोहराएं।
- प्रशिक्षण-पश्चात् मूल्यांकन के लिए सभी प्रतिभागियों को प्रपत्र दें।
- सभी प्रतिभागियों से उनकी प्रतिपुष्टि देने के लिए कहें।
- कार्यशाला के अनुभव का सार पेश करें और आगे की राह पर चर्चा करें।
- सबका धन्यवाद करें।



संलग्नक

संलग्नक I: पश्चात व पूर्व आंकलन पत्र

ट्रेनिंग—पूर्व □

ट्रेनिंग पश्चात □

नाम: _____

तारीख: _____

यदि आप इस वक्तव्य से सहमत हैं तो "हाँ" पर निशान लगाएं और यदि असहमत हैं तो "नहीं" पर निशान लगाएं। यदि आप सहमति या असहमति का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो "पता नहीं" पर निशान लगाएं।

| क्रम सं. | विवरण | हाँ | नहीं | पता नहीं |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1 | बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयास में सामाजिक मानदंड एक बहुत बड़ी रुकावट है। | | | |
| 2 | सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल की समझ बाल विवाह को समाप्त करने के सहायक हो सकती है। | | | |
| 3 | प्रशिक्षण के दौरान सुगमकर्ता ने प्रतिभागियों को सिखाना होता है, ताकि वह उस विषय के बारे में सीख सकें। | | | |
| 4 | जिन बच्चों का विवाह रोका गया उन बच्चों के नाम के साथ उनका उद्धारण देना अन्य लोगों को प्रेरित करने का अच्छा तरीका है। | | | |
| 5 | परिवारों को प्रेरित करने और उन्हें सफलता की कहानियां सुनाने से उनमें व्यवहार परिवर्तन की इच्छा जागेगी। | | | |
| 6 | पिलपबुक, ब्रोशर, खेल इत्यादि संचार सामग्री से संचार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है। बगैर किसी संचार सामग्री के उपयोग के भी प्रभावी संचार किया जा सकता है। | | | |
| 7 | देखने या पढ़ने की तुलना में लोग केवल सुनकर अधिक जानकारी याद रख पाते हैं। | | | |
| 8 | बाल विवाह को समाप्त करने का संबंध केवल किशोर और किशोरी और उनके माता—पिता के साथ है। क्योंकि अंत में यह परिवार का फैसला होता है, और इसपर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। | | | |
| 9 | संचार गतिविधियों की निगरानी करना संभव नहीं है क्योंकि अक्सर दो व्यक्तियों के बीच के संवाद का कोई सबूत नहीं होता। | | | |
| 10 | बाल विवाह से किशोरी बालिकाओं पर प्रभाव होता है। किशोर बालक इससे बच जाते हैं, इसलिए केवल किशोरियों पर ही ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। | | | |
| 11 | यदि किशोर बालिकाओं का विवाह वयस्क होने के बाद किया जाए तो उनका सशक्तिकरण हो जायेगा। | | | |
| 12 | जिन समुदायों में अखबार, इंटरनेट, टी.वी. जैसे संचार के माध्यम नहीं पहुँच पाते हैं वहां संदेशों को पहुँचाने के लिए पारंपरिक मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। | | | |



संलग्नक II: सीखने की शैली प्रपत्र

| क्र.सं. | | देखकर सीखना (विजुअल) | सुनकर सीखना (ऑडिटरी) | करके सीखना (किनेस्थेटिक) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | जब किसी नए उपकरण को पहली बार चलाना हो तो मैं चाहूँगी कि... | मुझे निर्देशों को पढ़ने का मौका मिले | व्याख्या सुनने या पूछने का मौका मिले | मुझे 'करके सीखने' का मौका मिले |
| 2 | यात्रा के लिए दिशा जानने के वास्ते मैं... | नकशा देखूँगा | किसी से रास्ता पूछूँगा | अपनी नाक की सीध में चलूँगा या हो सकता है मैं दिशासूचक यंत्र का इस्तेमाल करूँ |
| 3 | कोई नया व्यंजन बनाते समय मैं... | व्यंजन विधि का अनुसरण करूँगा | समझने के लिए किसी दोस्त को बुलाऊँगा | अपने अनुमान से, बीच-बीच में चख कर आगे बढ़ूँगा |
| 4 | किसी को कोई चीज़ सिखाने के लिए मैं... | निर्देश लिख कर दे दूँगी | बोल कर समझा दूँगी | करके दिखाऊँगी और उन्हें करने दूँगी |
| 5 | मैं प्रायः कहता हूँ... | "मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ।" | "आप क्या कह रहे हैं, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ।" | "मैं जानता हूँ, आपको कैसा लग रहा है?" |
| 6 | मैं प्रायः यह कहती हूँ... | "मुझे दिखाओ" | "मुझे बताओ" | "मुझे कोशिश करने दो।" |
| 7 | मैं प्रायः यह कहता हूँ... | "देखो, मैं इसे कैसे करता हूँ" | "मेरी बात गौर से सुनो" | "अब तुम खुद हाथ आज़माओ" |
| 8 | खराब हो गई चीज़ों के बारे में शिकायत करनी हो तो आमतौर पर मैं... | चिढ़ी लिखती हूँ | फोन करती हूँ | दुकान पर जाती हूँ या उस खराब सामग्री को हैड ऑफिस भेज देती हूँ |
| 9 | मैं आमोद-प्रमोद के लिए इन गतिविधियों को पसंद करता हूँ... | संग्रहालय या दीर्घाएं | संगीत या बातचीत | शारीरिक गतिविधियां अथवा चीज़ें बनाना |
| 10 | शॉपिंग करते हुए आमतौर पर मैं... | देख कर तय करती हूँ | दुकानदार से बात करती हूँ | चलाकर, संभालकर या जांच कर देखती हूँ |
| 11 | कोई नया कौशल सीखते समय मैं... | यह देखता हूँ कि अध्यापक क्या कर रहा है | मैं अध्यापक से पूछता हूँ कि मुझे क्या-क्या करना होगा | मैं खुद उस चीज पर हाथ आज़माता हूँ और उसी दौरान सीखता जाता हूँ |
| 12 | कोई गीत सुनते समय मैं... | भी साथ गाने लगती हूँ (मन ही मन में या कभी-कभी ऊँची आवाज में!) | मैं गाने के बोल और धुन को सुनती हूँ | मैं संगीत के साथ उस दौर में चली जाती हूँ |

| क्र.सं. | | देखकर सीखना (विजुअल) | सुनकर सीखना (ऑडिटरी) | करके सीखना (किनेस्थेटिक) |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ध्यान केंद्रित करते समय मैं... | अपने सामने मौजूद तस्वीरों या शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता हूं | समस्या और संभावित समाधानों पर मन ही मन में चर्चा करता हूं | काफी सक्रिय रहता हूं पेन-पेंसिलों के साथ खेलता हूं और असंबद्ध चीज़ों को उठाता-रखता रहता हूं। |
| 14 | चीज़ों को याद रखने के लिए मैं... | नोट्स बनाती हूं या मुद्रित विवरण संभाल कर रख लेती हूं | उन्हें बोल-बोल कर रटती हूं या मुख्य शब्दों और मुख्य बिंदुओं को मन ही मन में दोहराती हूं | उस गतिविधि का अभ्यास करती हूं या अपनी कल्पना में उसको करते हुए देखती हूं। |
| 15 | मेरी पहली स्मृति... | किसी चीज़ को देखने की | किसी से बात करने की | कुछ करने की |
| 16 | बैचैनी की हालत में मैं... | सबसे निराशाजनक स्थिति की कल्पना करता हूं | मैं मन ही मन में उन चीज़ों पर बात करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं | मैं शांत नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ करता हूं और लगातार इधर उधर घूमता हूं। |
| 17 | औरों के साथ मेरा जुड़ाव इस पर निर्भर करता है कि... | वे कैसे दिखते हैं | वे मुझसे क्या कहते हैं | वे मुझे किस तरह का अहसास देते हैं। |
| 18 | किसी को कोई चीज़ समझाते हुए मैं आमतौर पर... | उन्हें दिखाती हूं कि मेरा मतलब क्या है | उन्हें अलग-अलग ढंग से तब तक समझाती रहती हूं जब तक बात उन्हें समझ में नहीं आती | उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हूं कि वे खुद कोशिश करें और इस दौरान उनसे बात भी करती रहती हूं |
| 19 | मेरा ज्यादातर खाली वक्त बीतता है... | टेलीविज़न देखने में | दोस्तों से बात करने में | शारीरिक गतिविधि या चीज़ें बनाने में |
| 20 | जब मैं किसी नए व्यक्ति से पहली बार संपर्क करता हूं तो... | मैं मुलाकात तय करता हूं | मैं उससे फोन पर बात करता हूं | मैं मिलकर कोई गतिविधि करने की कोशिश करता हूं |
| 21 | सबसे पहले मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि लोग कैसे... | दिखते हैं और उनका पहनावा कैसा है | कैसे बोलते-बतियाते हैं | कैसे चलते-फिरते और खड़े होते हैं |
| 22 | मुझे इनको याद रखने में सबसे ज्यादा आसानी होती है... | चेहरे | नाम | मेरी की हुई चीज़ें |
| 23 | मेरे ख्याल में मैं झूठ पकड़ सकती हूं क्योंकि... | झूठ बोलने वाला आपसे नज़रें नहीं मिलाता | उसकी आवाज़ बदल जाती है | उससे मुझे खास तरह की तरंगें मिलती हैं। |
| 24 | किसी पुराने दोस्त से मिलने पर मैं कहता हूं कि... | “तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा!” | “बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी!” | मैं उसे गले लगाता हूं या उससे हाथ मिलाता हूं। |

संलग्नक III: हैंडआउट - अभिसरण के लिए प्रोग्रामेटिक और स्कीम प्लेटफॉर्म

| क्र.सं. | मंत्रालय | योजनाएं | मुख्य केन्द्र |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  नए समाज की ओर Towards a new dawn | <ul style="list-style-type: none"> समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आन्दोलन (बी.बी.बी.पी.) महिला शक्ति केंद्र (एम.एस.के.) | किशोर / किशोरी पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, जीवन-कौशल निर्माण, एवं जेंडर समानता |
| 2 | मानव संसाधन मंत्रालय  Government of India Ministry of Human Resource Development | <ul style="list-style-type: none"> समग्र शिक्षा अभियान) मध्यान्ह भोजन योजना स्कूल शिक्षा पर एकीकृत-जिला सूचना | |
| 3 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  Ministry of Health & Family Welfare Government of India | <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के) अनीमिया मुक्त भारत (ए.एम.बी.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) | किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (अर्श), स्वच्छता |
| 4 | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt. of India | <ul style="list-style-type: none"> स्वच्छ भारत अभियान (एस.बी.एम.) पेयजल एवं स्वच्छता (वाश) | |
| 5 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  KAUSHAL GUNWATNA PRAGATI | <ul style="list-style-type: none"> प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.बी.वाई.) | कौशल विकास, वोकेशनल प्रशिक्षण, रोजगार एवं उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास एवं नागरिकता निर्माण |
| 6 | खेल एवं युवा मंत्रालय  Ministry of Youth Affairs and Sports | <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आर.वाई.एस.के.) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर.जी.एन.आई.वाई.डी.) भारत स्काउट एवं गाइड (बी.एस.जी.) | |
| 7 | प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति योजना  | <ul style="list-style-type: none"> दीनदयाल अन्तोदया योजना (दी.ए.वाई.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (एन.आर.एल.एम.) | |

संलग्नक IV: तारुण्य पैकेज का उपयोग करते समय हैंडआउट - क्या करें और क्या न करें

क्या करें ✓

अच्छी तरह से योजना बनाएं और एसबीसीसी के लिए एक रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं

परिवर्तन में तेजी लाने और उनके साथ अपने एसबीसीसी हस्तक्षेपों को संरेखित करने के लिए रणनीतियों को समझें

वैचारिक स्पष्टता, ज्ञान और कौशल को मजबूत करने के लिए टूलकिट्स को अच्छी तरह से पढ़ें

किस सामग्री का कैसे, कब, किसके साथ और किस उद्देश्य के साथ उपयोग किया जाना चाहिए यह जानने के लिए कार्यान्वयन गाइड का उपयोग करें

जहां तक संभव हो पुरानी सामग्री को बदलकर अपनाने के बजाय कि नयी सामग्री को बनाना

सत्रों को प्रभावी और परिणामकारक बनाने के लिए सामग्रियों को मिलाएं

सुनिश्चित करें कि प्रमुख संदेश साझेदारी के माध्यम से सभी प्लेटफार्मों पर बार-बार संचारित किए जाते हैं

क्षमता निर्माण, सलाह और हैंडहोल्डिंग के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) / सीएसओ भागीदारों को समर्थन दें

उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेपों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में यथार्थवादी बनें। कई गतिविधियों फैलाने के बजाय कुछ सीमित गतिविधियाँ अच्छी तरह से करें।

क्या न करें ✗

अल्पकालिक, वन-ऑफ अभियान गतिविधियों की योजना बनाएं

ऐसे हस्तक्षेपों को लें जो बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतियों के साथ संरेखित नहीं करते हैं

अलर्ट संदेश और पैकेज की सामग्री, अनुकूलन ठीक है

प्रत्येक सामग्री का अकेले एक इकाई के रूप में उपयोग करें

अकेले "बंद करना" जैसे काम करें

संलग्नक V: हेंडआउट - तार्कण्य पैकेज की सामग्री

(यह एक गतिशील सूची है और अधिक सामग्री प्राप्त होने पर बदल सकती है)

| क्र. सं. | सामग्री का नाम | भाषा | माध्यम | वर्ण | विषय | कहा उपयोग करें | लक्षित समुदाय |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | एडवेकेसी किट— “गाइड टू इन्फ्रारेंस डिसिशन डेट इम्प्रूव चिल्ड्रेन्स लाइस | अंग्रेजी | प्रिट | बुकलेट | वकालत, बाल विवाह और किशोर सशक्तीकरण | वकालत | नीति निर्माता, कार्यक्रम कार्यालयनकर्ता और संस्थाएँ सी.एस.ओ. |
| 2. | एडवेकेसी किट: गाइडेंस ऑन हाउ टू अड्डोकेट फॉर अ मोर एनएब्लिंग एनवायरनमेंट फॉर सिविल सोसाइटी इन योर कॉन्टेक्स्ट | अंग्रेजी | प्रिट | बुकलेट | वकालत, बाल विवाह और किशोर सशक्तीकरण | वकालत | सी.एस.ओ. |
| 3. | गाइडेंस नोट ऑन इंटर जनरेशनल एपोच टू डेवलपमेंट | अंग्रेजी | प्रिट | मार्गदर्शिका | किशोर सशक्तीकरण | अंतर-पीढ़ी संवाद | |
| 4. | पॉजिटिव पेरेंटिंग तो स्ट्रेंथनिंग अडोलेसेंट एम्पावरमेंट इनिशिएटिव | अंग्रेजी | प्रिट | मार्गदर्शिका | किशोर सशक्तीकरण | अंतर-पीढ़ी संवाद | |
| 5. | अडोलेसेंट एम्पावरमेंट ट्रूलकिट | अंग्रेजी | प्रिट | टूल किट लीफलेट | किशोर सशक्तीकरण बाल विवाह और वकालत | वकालत | सी.एस.ओ. |
| 6. | चाइल्ड भेरिज एंड टीन प्रेगनेंसी अंग्रेजी | प्रिट | किशोर सशक्तीकरण | पीयर संवाद, बाल विवाह और वकालत | स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, किशोर अधिकार, जेंडर, | पीयर संवाद, अंतर-पीढ़ी संवाद, और परिवार, समुदाय | किशोर, माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 7. | अम्मा जी कहती है फिल्म (फेंक्ट फॉर लाइफ— एफ.एफ.एल.) | हिन्दी | ऑडियो-विजुअल विडियो | विडियो | स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, किशोर अधिकार, जेंडर, बाल विवाह और किशोर सशक्तीकरण | पीयर संवाद, अंतर-पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक संवाद एवं जुड़ाव | |



| क्र. सं. | सामग्री का नाम | भाषा | माध्यम | वर्ण | विषय | कहा उपयोग करें | लक्षित समुदाय |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8. | आधा-फुल ओमनीवर्स | हिंदी | ऑडियो-विजुअल एवं प्रिट | वीडियो, कॉमिक एविटविटी बुक | स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, किशोर अधिकार, बालिकाओं का मूल्य, बाल विवाह और किशोर सशक्तीकरण | पीयर संचाद, अंतर-पीढ़ी संचाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | किशोरों, माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 9. | प्रधान मंत्री का भाषण | हिंदी | ऑडियो-विजुअल | वीडियो | बाल विवाह को समाप्त करना, लिंग समानता और पोषण | सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | समुदाय |
| 10. | मीना रेडियो (160 एपिसोड) एवं यूजर गाइड | हिंदी | ऑडियो एवं प्रिट | रेडियो स्पॉट | शिक्षा, स्वास्थ्य और किशोर अधिकार | पीयर संचाद, अंतर-पीढ़ी संचाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | किशोरों, माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 11. | फुल ऑन निककी (78 एपिसोड) | हिंदी | ऑडियो | रेडियो स्पॉट | स्वास्थ्य, पोषण, बाल विवाह, जेंडर, पुरुषत्व, बाल विवाह और किशोर सशक्तीकरण | पीयर संचाद, अंतर-पीढ़ी संचाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | किशोरों, माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 12. | बापवाली बात | हिंदी | ऑडियो एवं प्रिट | रेडियो स्पॉट, वाल भौंगा एवं टी. वी.सी. | शिक्षा | पीयर संचाद, अंतर-पीढ़ी संचाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | किशोरों, माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 13. | अदेलेसेट फ्रेंडली हेल्थ विलानिक (ए.एफ.एच.सी.) टूल किट | हिंदी | प्रिट | कार्ड गेम्स, पिलप बुक, नुक्कड़ नाटक, पमलेट, पोर्टर, साप सीडी खेल | किशोर रसायन | पीयर संचाद, | किशोर |
| 14. | साँझी बातें | हिंदी | प्रिन्ट | कहानी और कविता पुस्तक | समानता, किशोर आकाशां और सपने | पीयर संचाद, | किशोर |
| 15. | अगड़म बगड़म | हिंदी | ऑडियो-विजुअल | विडियो | जेंडर समानता | पीयर संचाद, | किशोर |



| क्र. सं. | सामग्री का नाम | भाषा | माध्यम | वर्ग | विषय | कहा उपयोग करें | लक्षित समुदाय |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16. | ठिन दिन दिना | हिंदी | ऑडियो–विज़ुअल | विडियो | समानता | पीयर संवाद, | किशोर |
| 17. | राजस्थान – बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज | हिंदी | ऑडियो–विज़ुअल और प्रिंट | एनिमेटेड फिल्में और स्थिति कार्ड | बाल विवाह | पीयर संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | माता–पिता और परिवार |
| 18. | बिहार – बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज | हिंदी | ऑडियो–विज़ुअल और प्रिंट | एनिमेटेड फिल्में और स्थिति कार्ड, रेडियो पी.एस.ए. | स्थिति कार्ड | पीयर संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | हिंदी |
| 19. | बीना दहेज सही उम में शादी, परिवार में रहे खुशहाली | हिंदी | प्रिंट | पिलप कार्ड, एवं पलैशर कार्ड | बैनर, बोशर, पलैशर कार्ड, पिलप बुक, पोस्टर, दिवार पैटिंग, रेडियो स्पॉट, गीत | बाल विवाह, दहेज और किशोर अदि कार | अंतर–पीढ़ी संवाद |
| 20. | बिहार सरकार – संचार सामग्री | हिंदी | प्रिंट | | | सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | समुदाय |
| 21. | चंदा पुकारे दृ नाटक की पटकथा | हिंदी | प्रिंट | पटकथा | बाल विवाह और उसके प्रभाव | सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | समुदाय |
| 22. | मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना – सामग्री | हिंदी | प्रिंट | बोशर, होलिंग एवं विज्ञापन | मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना – किशोरी शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए योजना | सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव | समुदाय |
| 23. | बाल विवाह और दहेज कानून और नीतियों पर पुस्तिका | हिंदी | प्रिंट | बुकलेट | बाल विवाह, दहेज और सरकार की वर्तमान नीतियां, कानून और योजनाएं | क्षमता निर्माण | अश्रम पर्सि के कार्यकर्ता, अधिकारी एवं प्रशिक्षक |

| क्र. सं. | सामग्री का नाम | भाषा | माध्यम | वर्ग | विषय | कहा उपयोग करें | लक्षित समुदाय |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिए मानक सचालन प्रक्रिया : बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करना | हिन्दी | प्रिंट | बुकलेट | दहेज और बाल विवाह की रोकथाम | श्रमता निर्माण | जिला अधिकारी, अधिम पंक्ति के कार्यकर्ता, एवं पंचायती राज संस्थान के सदस्य |
| 25. | मानक संचालन प्रक्रिया – बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ, जिला कार्यक्रम अधिकारी | गृह विभाग | सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के तार्ड सदस्य | हिन्दी | बुकलेट | बाल विवाह, दहेज | श्रमता निर्माण |
| | समाज कल्याण विभाग | दहेज करने के लिए टूलकिट | प्रिंट | | | बाल विवाह, दहेज | अधिम पंक्ति के कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, पंचायती राज संस्थान के सदस्य, सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षक, टोला सेवक |



| क्र. सं. | सामग्री का नाम | भाषा | माध्यम | वर्ग | विषय | कहा उपयोग करें | लक्षित समुदाय |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26. | किशोरों के साथ बातचीत करने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए मॉड्यूल | हिंदी | प्रिट | बुकलेट | किशोरावस्था में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और मासिक धर्म | क्षमता निर्माण | आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता |
| 27. | बिहार बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने के लिए मीडिया किट | हिंदी | प्रिट | बुकलेट | दहेज और बाल विवाह | क्षमता निर्माण | मीडिया प्रतिनिधि |
| 28. | लघु फिल्मों – बाल संवाद, जल घर लाना, लड़कियों को स्कूल वापस लाना, सूचना शक्ति है, पुलिस हिरासत में हिंसा पर बातचीत | हिंदी | एडियो विजुअल | फिल्म | भोपाल गेस त्रासदी, युवाओं की भागीदारी, पानी और स्वच्छता, लड़कियों की शिक्षा, सूचना शक्ति है, हिरासत हिंसा | पीयर संवाद, अंतर-पीढ़ी संवाद | किशोरों, माता-पिता |
| 29. | लघु फिल्मों – बाल संवाद, जल घर लाना, लड़कियों को स्कूल वापस लाना, सूचना शक्ति है, पुलिस हिरासत में हिंसा पर बातचीत | हिंदी | एडियो विजुअल | फिल्म | भोपाल गेस त्रासदी, युवाओं की भागीदारी, पानी और स्वच्छता, लड़कियों की शिक्षा, सूचना शक्ति है, हिरासत हिंसा | पीयर संवाद, अंतर-पीढ़ी संवाद | किशोरों, माता-पिता |
| 30. | राजस्थान – बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज | हिंदी | ऑडियो-विजुअल | एनिमेटेड फिल्में और स्थिति कार्ड | बाल विवाह | पीयर संवाद, अंतर-पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लाभदाता और जुड़ाव | माता-पिता और परिवार, समुदाय |
| 31. | कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज ऑन प्रिवेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल | अंग्रेजी | प्रिट | संचार रणनीति | बाल विवाह और कन्याश्री प्रकल्प योजना | क्षमता निर्माण | अधिकारी और अधिमं पंक्ति के कार्यकर्ता |

संलग्नक VI: हेण्डआउट - संचार योजना का प्रपत्र

क्षर (जिला/ब्लॉक):

जिले/ ब्लॉक का नाम

तारीख

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| मध्य त्रिपुरा | | | | |
| महांग लक्ष्मी | | | | |
| मानस कामुक | | | | |
| मृत्ति कामुक | | | | |
| मुमुक्षु गाम्भीर्य | | | | |
| मुमुक्षु उभ उभावास | | | | |
| मुमुक्षु मुमुक्षु | | | | |
| (मानस) उक्तव्य | | | | |
| उक्तव्य | | | | |
| उम्मीद गाम्भीर्य | | | | |
| क्षुप्तम् | | | | |
| हेण्ड | | | | |
| कामुक | | | | |



संलग्नक VII: हैंडआउट - निगरानी के लिए नमूना संकेतक और प्रणाली

सूचकांक

प्रणाली

किशोर/किशोरी

- प्रतिशत किशोर, जो शिक्षा के अधिकार सहित अपने अधिकारों को जानते हैं
- प्रतिशत वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूकता में
- प्रतिशत किशोर, जो मानते हैं कि कानूनी उम्र से पहले शादी करना हानिकारक है
- प्रतिशत किशोर, जिन्होंने तारूण्य पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है
- प्रतिशत किशोर, जो लड़कियों और लड़कों के खिलाफ हिंसा को अस्वीकार करते हैं
- प्रतिशत किशोर, जो यह समझते हैं कि उनके समुदाय में बाल विवाह, हिंसा और मौजूदा भेदभाव कम हो रहे हैं

ज्ञान, मनोभाव, और अभ्यास (केएपी) सर्वेक्षण, साक्षात्कार, स्व-रिपोर्ट प्रश्नावली, अवलोकन और समूह चर्चा (एफजीडी) या इनका कोई मिश्रण

रजिस्टरों, उपस्थिति रिकॉर्ड और एमआईएस जैसे दुर्घम स्रोतों से डेटा की समीक्षा

माता-पिता

- किशोरों के माता-पिता का प्रतिशत – जो हिंसा, भेदभाव और बाल विवाह के संबंध में अस्वीकृति व्यक्त करते हैं
- किशोरों के माता-पिता का प्रतिशत, जो बाल विवाह, भेदभाव और हिंसा के नुकसान के बारे में जानते हैं
- किशोरों के माता-पिता का प्रतिशत, जिन्होंने किशोरों के संरक्षण में जानकारी प्राप्त करने के लिए गतिविधियों (वार्ता, चर्चा और परामर्श) में हिस्सा लिया
- किशोरों के माता-पिता के प्रतिशत, जो किशोरों को सुरक्षा और कल्याण के लिए सूचना और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए समर्थन करते हैं

केएपी सर्वेक्षण, साक्षात्कार, एफजीडी और अवलोकन

सूचकांक

प्रणाली

सेवा प्रदाता

- किशोरों का प्रतिशत, जिन्हें पोषण (संतुलित आहार, आहार विविधता) पर ज्ञान है
- किशोरों के प्रतिशत (10–19 वर्ष), जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम तीन पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं (एनीमिया नियंत्रण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य)

दुर्घट स्रोतों से डेटा की समीक्षा, सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और एमआईएस

ग्राम कार्यकर्ता और किशोर समूह

- किशोर पीयर शिक्षकों का प्रतिशत, जिन्होंने अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार को रोका है
- किशोरों की संख्या, जो समूहों के सदस्य हैं (जीवन कौशल, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों को संबोधित करते हुए)
- समूहों के किशोर सदस्यों का प्रतिशत, जो आत्म-प्रभावकारिता की बढ़ी हुई भावना महसूस करते हैं, जिनमें अधिक आत्मविश्वास आ गया हो बिना किसी डर के बोलने में सहज महसूस करें, जो निर्णय लेने में सहज महसूस करते हैं
- समूहों के किशोर सदस्यों का प्रतिशत, जो विशिष्ट जीवन कौशल कार्यक्रमों में भाग लेते हैं
- ऐसे समूहों के सदस्यों का प्रतिशत, जो स्वरथ, सुपोषित रहने और स्वयं को एचआईवी / एड्स से कैसे बचाए रखना जानते हैं
- किशोरों के माता-पिता का प्रतिशत, जो किशोर लड़कों और लड़कियों के साथ अंतर-संवाद में भाग लेने वाले समूहों के सदस्य हैं
- प्रतिशत फ्रंटलाइन प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जो जानते हैं कि प्रासंगिक सेवाओं के मामलों को कैसे रेफर किया जाए

केएपी सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, दुर्घट स्रोतों से डेटा की समीक्षा जैसे कि ग्राम कार्यकारियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, सदस्यता रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड

